

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 450]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935

No. 450]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/ BHADRA 15, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुंबई, 30 अगस्त 2013

# विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियमावली, 2013

सा का.नि. 597(अ). —िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलाएंगे।
- (ii) इनके संबंध में यह समझा जाएगा कि वे 22 अगस्त, 2013 से लागू हुए हैं।@

3838 GI/2013 (1)

#### 2. विनियम 14 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, विनियम 14 में, उप विनियम 1 में.

- 1) खड (i) में, उप खंड (ए) में "कंपनी को निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा 'नियंत्रित' समझा जाएगा, यदि निवासी भारतीय नागरिकों और निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित भारतीय कंपनियों को कंपनी में अधिसंख्य निदेशकों को नियुक्त करने के अधिकार हों" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- 2) खड (i) में, उप खंड (बी) में "कंपनी को अनिवासियों द्वारा 'नियंत्रित' समझा जाएगा, यदि भारतीय कंपनी में अधिसंख्य निदेशकों को नियुक्त करने के अधिकार अनिवासियों को हों" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
- 3) खड (i) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्;
  - " ( ए) 'नियंत्रण' में अधिसंख्य निदेशों को नियुक्त करने के अधिकार अथवा प्रबंधन का नियंत्रण अथवा नीतिगत निर्णय जिसमें शेयरधारिता के कारण ऐसा करना शामिल है अथवा प्रबंधन अधिकार अथवा शेयर धारक के करार अथवा मत देने के करार शामिल होंगे।"

### 3. अनुसूची 1 में संशोधन

वर्तमान संलग्नक 'बी' के लिये, नया <u>संलग्नक 'बी'</u> प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[सं. फेमा. 285/2013-आरबी]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

#### फुट नोटः

- (i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वप्रभावी करने के कारण किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकृत असर नहीं पड़ेगा ।
- (ii) मूल विनियमावली जीएसआर संख्या. 406(ई) दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा शासकीय राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी:-
  - (क) जी.एस.आर. नं. 158(ई) दिनांक 02.03.2001
  - (ख) जी.एस.आर. नं. 175(ई) दिनांक 13.03.2001
  - (ग) जी.एस.आर. नं. 182(ई) दिनांक 14.03.2001
  - (घ) जी.एस.आर. नं. 4(ई) दिनांक 02.01.2002
  - (ङ) जी.एस.आर. नं. 574(ई) दिनांक 19.08.2002
  - (च) जी.एस.आर. नं. 223(ई) दिनांक 18.03.2003
  - (छ) जी.एस.आर. नं. 225(ई) दिनांक 18.03.2003
  - (ज) जी.एस.आर. नं. 558(ई) दिनांक 22.07.2003
  - (झ) जी.एस.आर. नं. 835(ई) दिनांक 23.10.2003
  - (ञ) जी.एस.आर. नं. 899(ई) दिनांक 22.11.2003
  - (ट) जी.एस.आर. नं. 12(ई) दिनांक 07.01.2004
  - (ठ) जी.एस.आर. नं. 278(ई) दिनांक 23.04.2004
  - (ड) जी.एस.आर. नं. 454(ई) दिनांक 16.07.2004
  - (ढ) जी.एस.आर. नं. 625(ई) दिनांक 21.09.2004
  - (ण) जी.एस.आर. नं. 799(ई) दिनांक 08.12.2004
  - (त) जी.एस.आर. नं. 201(ई) दिनांक 01.04.2005

(थ) जी.एस.आर. नं.. 202(ई) दिनांक 01.04.2005 (द) जी.एस.आर. नं. 504(ई) दिनांक 25.07.2005 (ध) जी.एस.आर. नं.. 505(ई) दिनांक 25.07.2005 (न) जी.एस.आर. नं.. 513(ई) दिनांक 29.07.2005 (न) जी.एस.आर. नं. 738(ई) दिनांक 22.12.2005 (प) जी.एस.आर. नं. 29(ई) दिनांक 19.01.2006 (फ) जी.एस.आर. नं. 413(ई) दिनांक 11.07.2006 (ब) जी.एस.आर. नं. 712(ई) दिनांक 14.11.2007 (भ) जी.एस.आर. नं. 713(ई) दिनांक 14.11.2007 (म) जी.एस.आर. नं. 737(ई) दिनांक 29.11.2007 (य) जी.एस.आर. नं. 575(ई) दिनांक 05.08.2008 (र) जी.एस.आर. नं. 896(ई) दिनांक 30.12.2008 (ऱ्) जी.एस.आर. नं. 851(ई) दिनांक 01.12.2009 (ल) जी.एस.आर. नं. 341 (ई) दिनांक 21.04.2010 (ळ) जी.एस.आर. नं. 606(ई) दिनांक 03.08.2012 (ऴ) जी.एस.आर. नं. 795(ई) दिनांक 30.10.2012 (व) जी.एस.आर. नं. 796(ई) दिनांक 30.10.2012 (श) जी.एस.आर. नं. 797(ई) दिनांक 30.10.2012 (ष) जी.एस.आर.नं. 946(ई) दिनांक 31.12.2012 (स) जी.एस.आर.नं. 344(ई) दिनांक 29.05.2013 (ह) जी.एस.आर. नं. 38(ई) दिनांक 22.01.2013 (कक) जी.एस.आर. नं.515(ई) दिनांक 30.07.2013 (खख) जी.एस.आर. नं.\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_ जी.एस.आर. नं.532 (ई) दिनांक 05.08.2013 (गग) जी.एस.आर. नं.341(ई) दिनांक 28.05.2013 (घघ) जी.एस.आर. नं.195(ई) दिनांक 01.04.2013 (ਤੁਤ) (चच) जी.एस.आर.नं.393 (ई) दिनांक 21.06.2013 जी.एस.आर.नं.530 (ई) दिनांक 05.08.2013 (ন্ডন্ড)

जी.एस.आर. नं.\_\_\_\_ दिनांक \_

(जज)

#### संलग्नक बी

#### विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीति

निम्नलिखित क्षेत्रों / गतिविधियों में, प्रत्येक क्षेत्र / गतिविधि के सामने दर्शाई गई सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है जो लागू कानूनों / विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी। जिन क्षेत्रों / गतिविधियों को नीचे नहीं दिया गया है उनमें 100 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है, जो लागू कानूनों / विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी।

जहां कहीं भी न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षित है, इसमें शेयर के अंकित मूल्य के साथ ही प्राप्त शेयर प्रीमियम भी शामिल होगा बशर्ते कंपनी द्वारा इसे अनिवासी निवेशक को शेयर जारी करते समय प्राप्त कर लिया गया हो। न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षा की गणना करते समय शेयर जारी करने की कीमत के अलावा शेयर-निर्गम के बाद अंतरित करने की अविध के दौरान इसमें अंतरिती द्वारा भुगतान की गई राशि की गणना नहीं की जाएगी।

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग	
कृषि				
1	कृषि और पशुपालन			
	ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी-पालन तथा सब्जियों और मशरूम की खेती; बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन (श्वान प्रजनन सिहत), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर); और डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा अन्य किसी कृषि क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमित नहीं है।	100%	स्वचालित	
1.1	अन्य शर्तैः			
	(i) जेनेटिक तरीके से आशोधित बीजों या रोपण सामग्री के सं जेनेटिक तरीके से आशोधित जीवों पर पर्यावरण(सुरक्षा) अधिवि अनुसरण में सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करना होगा। (ii) यदि किसी प्रकार की जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत जा के अधीन होगा। (iii) कंपनी जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री के संबंध में उ अन्य कानून, विनियमन या नीति का पालन करेगी। (iv) जेनेटिक तरीके से अभियंत्रित कोशिकाओं और सामग्री का गतिविधियां जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटी (जीईएसी) मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) से प्राप्त अनुमोदनों के अधीन होंगी। (v) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार कि	धिनियम के तहत बनाई गई विधियों के मग्री का आयात करना हो तो वह विदेश जारी अधिस्चनाओं द्वारा बनाई गई शर्तों में समय-समय पर लागू किए गए किसी का उपयोग करने में शामिल व्यापारिक सी) और रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक गी।		
	<ul> <li>पुष्प उत्पादन, बागवानी, सिन्जियों और मशरूम की खेपिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीव विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृष्टि सुरक्षित खेती के जिरए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीव किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं - ज मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।</li> <li>पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत</li> <li>O स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालि बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्र</li> </ul>	त है और जिसमें वर्षा त्रेम रूप से नियंत्रित त हाउस, नेट हाउस, वहां सूक्ष्म मौसमी प त' शब्द इन्हें कवर कर नेयों के तहत पशु-पाल	, तापमान, सूर्य किया जाता है। पॉली हाउस या रिस्थितियों को ता है: न। गहन खेती-	
	बाड़ा प्रणालिया के तहत जलवायु प्र तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल			

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग		
		ईक्विटी का			
		प्रतिशत			
	रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंध	न प्रणालियां अपेक्षित	<u>.</u> होंगी।		
	O मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-	जलवायु को इनक्यूबेट	टर, हवा-रोशनी		
	(वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है।				
	<ul> <li>मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों</li> </ul>				
	के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:				
	O मछलीघर (अक्वेरियम)				
	O हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित	किया जाता है और म	नछली के छोटे-		
	छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता	है और कृत्रिम जलव	ायु नियंत्रण के		
	साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में	उन्हें सेया जाता है।			
	<ul> <li>मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के</li> </ul>	•	करता है:		
	O कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स	थानों पर, जंगल/			
	वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमानों के साथ और	जलवायु संबंधी			
	घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी				
	पालन से शहद का उत्पादन।				
2	चाय बागान		<u> </u>		
2.1	चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र	100%	सरकार		
	टिप्पणीः उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के				
	क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।				
2.2	अन्य शर्तैः		<u> </u>		
	भविष्य में किसी प्रकार के भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में स	बिधित राज्य सरकार	की पूर्वानुमति।		
3	<u>खनन</u>	Г			
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957	100%	स्वचालित		
	के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा,				
	स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं, खनन और				
	अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके				
2.0	अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।				
3.2	कोयला और लिग्नाइट	1000	Τ		
	(1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के	100%	स्वचालित		
	प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन				
	ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले				
	और लिग्नाइट का खनन				
	जार ।लण्ना५८ का खनन		1		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग
<b>7(</b>	4177	ईक्विटी का	74VI VII-I
		प्रतिशत	
	(2) वाशरीज़ जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना	100%	स्वचालित
	बशर्ते कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले	100%	(4411(1)
	या अपने कोयला प्रसंस्करण संयत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की		
	खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड		
	कोयले की आपूर्ति उन पक्षों को करेगी जो वाशिंग या साइजिंग		
	के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति		
	कर रहे हैं।		
2.2			<u> </u>
3.3	टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृ	थक्करण, इसका मूल्य	यधेन करना
	और एकीकृत गतिविधियां		T
3.3.1	क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और	100 प्रतिशत	सरकारी
	विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम		
	वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण,		
	इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां		
3.3.2	अन्य शर्तैः		
	भारत में देश भर के समुद्र-तटीय क्षेत्रों में समुद्री बालू खनिजों	का बड़ा भंडार है। ट	.ाइटेनियम पाए
	जाने वाले खनिज नामतः इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन	न तथा ज़िरकोनियम	पाए जाने वाले
	खनिज जिनमें ज़िरकॉन शामिल है कुछेक समुद्री बालू खि	ोजों में से हैं जिन्हें	परमाणु ऊर्जा
	अधिनियम, 1962 के तहत 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत	किया गया है।	
	औद्योगिक नीति विवरण 1991 के तहत खनिजों के खनन	। और उत्पादन को 'वि	नेर्धारित पदार्थ'
	के रूप में वर्गीकृत किया गया और परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और	उपयोग नियंत्रण) अ	ादेश, 1953 की
	अनुसूची के रूप में रखा गया; जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए	आरक्षित उद्योगों की स	रूची में शामिल
	किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्तूबर 1998	को जारी किए गए र	नंकल्प संख्या
	8/1(1)/97-पीएसयू/1422 में समुद्री बालू खनिजों के अन्वेष	ण के लिए नीति बन	ाई गई जिसमें
	टाइटेनियम अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) और	ज़िरकोनियम खनिजों	(ज़िरकॉन) के
	खनन और उत्पादन में एफडीआई सहित निजी सहभागिता की	अनुमति प्रदान की गई	I
	परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 19	62 के तहत 18.1.20	006 की अपनी
	अधिसूचना संख्या एस.ओ.61(ई) द्वारा'निर्धारित पदार्थों' की सूची व	को पुनः अधिसूचित वि	ग्या। टाइटेनियम
	वाले अयस्कों और इसके सांद्रकों (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्र	पूकोक्सीन) तथा ज़िरव	nोनियम, इसकी
	मिश्रधातु और यौगिकों और ज़िरकॉन सहित खनिजों/सांद्रकों को	'निर्धारित पदार्थीं' की	सूची में से हटा
	दिया गया।		
	(i) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करने के लि	ए एफडीआई	
	निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, नामतः		
	(क) प्रौद्यागिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत		
	(ख) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटा	न परमाणु ऊर्जा (विर्ा	केरण संरक्षण)
	नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का	सुरक्षित निपटान) नि	यमावली, 1987
	जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के	अनुसरण में किया जा	एगा।
	(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की ग	ई अधिसूचना सं. एस	.ओ. 61(ई) में
	सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति न	नहीं दी जाएगी।	

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग		
		ईक्विटी का			
		प्रतिशत			
	स्पष्टीकरणः (1) इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे	टाइटेनियम वाले अर	। यस्कों के लिए		
	टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज				
	इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम	• •			
	उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है।				
	(2) इसका उद्देश्य यह स्निश्चित करना है कि देश में उपलब्ध क	च्चे माल का उपयोग '	निचले स्तर तक		
	उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार				
	के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति				
	के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (i) (क) में निर्धा	रित शर्तों को पूरा हुआ	माना जाएगा।		
			<u> </u>		
4	तेल और प्राकृतिक गैस				
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां,	100%	स्वचालित		
	पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी				
	इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का				
	विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस				
	पाइपलाइन, एलएनजी पुनःगैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार				
	अध्ययन और फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम				
	रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति				
	और विनियामी फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय				
	तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के				
	संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी।		_		
4.2	मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार के	49%	स्वचालित		
	विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना				
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।				
	विनिर्माण	_			
5	सूक्ष्म और लघु उद्यमों में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं का	विनिर्माण			
5.1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (सूक्ष्म, लघु और मध्यम				
	(एमएसएमईडी, अधिनियम, 2006) में यथापरिभाषित) में एफ				
	और अन्य संगत क्षेत्रगत विनियमनों के अधीन होगा यदि कोई				
	न लघु स्तर का उद्यम है, एमएसई क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तु				
	लिए सरकारी मार्ग अपेक्षित होगा, जहां विदेशी निवेश 24 प्रति				
	उपक्रम को इस प्रकार के उत्पादन के लिए औद्योगिक (विकास ३	_			
	तहत एक औद्योगिक लाइसेंस भी लेना अपेक्षित होगा। औद्योगि		•		
	शर्तों के अधीन होगा और इस विशिष्ट शर्त के अधीन होगा				
	अधिकतम अवधि के भीतर एमएसई के लिए आरक्षित वस्तुओं				
	के न्यूनतम 50 प्रतिशत के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करेगा				
	उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से लागू होगा और उद्योग( विका	प्त आर विनियमन) अ	ाधानयम, १९५१		
	की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।				
6	रक्षा				

करायी जाएंगी।

क्षेत्र/गतिविधि क्र.सं. एफडीआई कैप/ प्रवेश मार्ग ईक्विटी का प्रतिशत रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 6.1 26% 26% के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है। सरकार । 26% अधिक मामले −दर-मामले के आधार पर कैबिनेट कमीटी (स्रक्षा) से, जो माडर्न और 'स्टेट आफ दि आर्ट' तकनीक देश पह्ंच सुनिश्वति करती अन्य शर्तैः 6.2 (ii) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। (ii) आवेदक भारतीय कंपनी/भागीदारी फर्म हो। (iii) आवेदक कंपनी/भागीदारी फर्म का प्रबंधन भारतीय हाथों में हो और कंपनी/भागीदारी फर्म के बोर्ड में बह्मत प्रतिनिधित्व भारतीय निवासियों का हो और साथ ही उसके मुख्य कार्यकारी भारतीय निवासी हों। (iv) आवेदन के साथ निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। (v) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घरेलू प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके पूर्ववृत्त की जांच करने का अधिकार स्रक्षित होगा। उपकरण का मूल रूप से निर्माण करने वालों या डिजाइन अधिष्ठानों और ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सशस्त्र बल, अंतरिक्ष एवं परमाण् ऊर्जा अनुभागों को पूर्व में आपूर्ति करने का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो और जिनके पास एक स्थापित अनुसंधान एवं विकास केंद्र हो। (vi) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कोई न्यूनतम पूंजीकरण नहीं होगा। तथापि, उत्पाद और प्रौद्योगिकी के आधार पर आवेदक कंपनी के प्रबंधन द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। लाइसेंसी प्राधिकारी निर्माण हेत् प्रस्तावित हथियारों और उपकरणों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अनिवासी निवेशक की निवल मालियत की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। (vii) एक अनिवासी निवेशक से दूसरे अनिवासी निवेशक (अनिवासी भारतीय और पूर्व में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अनिवासी भारतीय हिस्से वाली विदेशी कंपनी निकाय) को इक्विटी हस्तांतरित करने में तीन वर्ष की लॉक-इन अविध होगी और ऐसा कोई हस्तांतरण सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। (viii) रक्षा मंत्रालय निर्मित होनेवाले उत्पादों की खरीद की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, जहां तक संभव हो, ऐसे उपकरणों के लिए योजनाबद्ध अर्जन कार्यक्रम और समग्र अपेक्षाएं उपलब्ध

[ भाग II	-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण		9
क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(ix) लाइसेंस में आवेदन और साथ ही रक्षा मंत्रालय की सिफारिश क्षमता मानदंड उपलब्ध कराए जाएंगे जो इसी प्रकार के और संब विचार करेगा।	द्ध उत्पादों की वर्तमान	क्षमताओं पर
	(x) आवेदक कंपनी को उत्पादन पूर्व कार्यकलाप के लिए उपकरण शामिल हो, की अनुमति होगी। (xi) एक बार लाइसेंस मंजूर होने और उत्पादन शुरू होने के बार सुरक्षा प्रक्रिया अपनाया जाना अपेक्षित होगा। यह अधिकृत सरव	द लाइसेंसी के लिए पर	र्गप्त संरक्षा और
	होगा। (xii) लाइसेंसी लाइसेंस के तहत विदेशी सहयोगियों से या स्व उत्पादन किए जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता और परीक्षण क्रि तहत, सरकार द्वारा नामित गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को उपल आश्वासन एजेंसी तैयार माल की जांच करेगी और लाइसेंसी के व तथा लेखा-परीक्षा करेगी। रक्षा मंत्रालय मामला-दर-मामला आध जिसमें या तो अलग-अलग वस्तुएं होंगी या लाइसेंसी द्वारा अनुमति नियत अविध के लिए होगी और ये नवीकरण के अधीन (xiii) सार्वजानिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार खर	ज्या विधि, उपयुक्त गो ब्ध कराएगा। नामित गुणवता आश्वासन प्रक्रि गर पर स्व-प्रमाणन वी निर्मित वस्तुओं के स	पनीयता खंड के की गई गुणवता त्या की निगरानी जे अनुमति देगा ामूह होंगे। ऐसी
	सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है।  (xiv) निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित हथियार एवं गोलाबारूद मुख्ये वस्तुएं रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बेचे जा सकते हैं। देश के भीतर या संस्था को नहीं बेची जाएगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात आ रक्षा उपक्रमों के लिए लागू नीति और दिशानिर्देश के अधीन होत साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार से इतर व्यक्तियों/संस्थाओं व अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसी से यह भी अपेक्षित होगा कि वह के लिए एक सत्यापनीय प्रणाली तैयार करे। इन प्रावधानों का उत्सकता है।	य रूप से रक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों के नि ऐसी कोई भी वस्तु वि युध कारखाने और साग गा। रक्षा मंत्रालय के प ो गैर-प्राणघातक वस्तु अपने कारखाने से सभी	को बेचे जाएंगे। यंत्रण के अधीन न्सी अन्य व्यक्ति र्वजानिक क्षेत्र के र्व्व अनुमोदन के ओं की बिक्री की ा माल को हटाने
	(xv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संविभाग निवेश योजना के (xvi) रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु सरकारी अनुमति कार्य विभाग में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के सचिवालय को प्रस् (xvii) 26% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले आवेदनपत्र मौजूदा प्रति से अधिक के अंतर्वाह वाले प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी कैबिनेट 26% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमति जांच सभी मामलों में रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विशेष रूप तकनीक की पहुंच सुनिधित करने के लिए की जाएगी। (xviii) रक्षा उत्पादन विभाग और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड उत्पादन विभाग उन मामलों में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट कमीटी परिणाम के रूप में देश में 'माडर्न और स्टेट आफ दि आर्ट' तकन	चाहने वाले सभी आवे तुत किये जाएंगे। क्रेया का अनुसरण करें कमीटी द्वारा अनुमोदिः चाहने वाले आवेदन प से 'माडर्न और स्टेट की सिफारिशों के उ	दन पत्र आर्थिक गे, रु.1200 करोड़ त किए जाते हैं। ात्रों की अतिरिक्त आफ दि आर्ट' भाधार पर, रक्षा जिनके संभावित

	<u> </u>			
क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग	
		ईक्विटी का		
		प्रतिशत		
	जो कैबिनेट कमीटी द्वारा अनुमोदित किये जाने हैं, उसके लि	ए फिर से आर्थिक व	कार्य विभाग की	
	कैबिनेट कमीटी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।			
	(xx) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)			
	को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर सरकार का निर्णय सामान	न्यतः पावती की तारीर	व से 10 सप्ताह	
	की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।			
सेवा क्षेत्र				
सूचना से	या			
7	प्रसारण			
7.1	प्रसारण वाहक सेवा			
7.1.1	(1) <b>टेलीपोर्ट</b> (अप-लिंकिंग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना)	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत	
	*		तक स्वचालित	
	(2) <b>डायरेक्ट टू होम</b> (डीटीएच)		मार्ग	
	(3) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर		49 प्रतिशत से	
	परिचालन करने वाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के		अधिक और	
	लिए नेटवर्क अपग्रेडशन का काम करने वाले मल्टी सिस्टम		74 प्रतिशत	
	ऑपरेटर (एमएसओ)		तक सरकारी	
	(4) मोबाइल टीवी		मार्ग	
	(5) <b>हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस</b> (एचआईटीएस)			
7.1.2	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और	49 प्रतिशत	स्वचालित	
	अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं			
	और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)			
7.2	प्रसारण विषयक सेवाएं			
7.2.1	क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो), एफ एम रेडियो स्टेशन	26 प्रतिशत	सरकारी	
	की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तों के			
	अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-			
	समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।			
7.2.2	"समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शाने वाले" टी वी चैनलों	26 प्रतिशत	सरकारी	
	की अपलिंकिंग			
7.2.3	"गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शाने वाले" टीवी	100 प्रतिशत	सरकारी	
	चैनलों की अप-लिंकिंग/टीवी चैनलों की डाउन-लिंकिंग			
7.3	टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष नि	नेवेश सूचना एवं प्रसार	ण मंत्रालय द्वारा	
	समय-समय पर अधिसूचित सुसंगत अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग व	नीति के अनुपालन के	अधीन होगी।	
7.4	उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं में संलग्न कंपनियों में विदेशी नि			
	और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्र			
	गए हों।			
7.5	उपुर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी वि	नेवेश (एफआई) की	सीमा में विदेशी	
•	1 2		,	

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग	
	प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) द्वारा किए गए निवेश और विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जरिए किए गए निवेश शामिल हैं।			
7.6	उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नि होगाः कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्षा (i) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे। (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), तकनीकी नेटवर्क परि मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए।	-		
	कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन (iii) कंपनी, निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे वि निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकार (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिच वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी रखने एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य अनुमोदन प्राप्त करें।	री(सीएफओ), मुख्य र ालन अधिकारी (सीओ वाले शेयरधारकों या	मुरक्षा अधिकारी (ओ), कंपनी में जैसा कि सूचना	
	कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और प्रबंध मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आदि जैसे प्रम् में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।	(सीएसओ), मुख्य तक पुख कार्यपालकों की नि	ज्नीकी अधिकारी ।युक्ति के मामले	
	कंपनी के लिए बाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड में कोई प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे।	परिवर्तन करने से प	हले सूचना एवं	
	(iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमत् से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक व	ग की बाबत कंपनी में कर्मचारियों की उनके .	एक वर्ष में 60 अभिनियोजन से	
	अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन			
	(v) यह अनुमित अनुमित धारक/लाइसेंसी द्वारा अनुमित की वैध बरकरार रखे जाने के अधीन होगी। सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए तत्काल खत्म की जा सकती है।		0	

क्र.सं.	क्षेत्र	⁄गतिविधि	Ī						एप	न्डीआई वै	न्प/	प्रवेश	मार्ग	
									ईवि	क्वेटी का				
									प्रति	तेशत				
	(vi)	ਪੁਤਸ਼ਤਿ	धाउट / बाट में भी	<del>1) _2</del>	किमी	भिष	टाकि	этг	िटेशी	कर्मनारी	को कि	n nh	75LJJIJ	4

(vi) अनुमित धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमित धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमित/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अविध के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमित/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

#### इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क/सॉफ्टवेअर संबंधी अपेक्षा

- (vii) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी/पदाधिकारी, जो सेवाओं के विधिसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं,
- (viii) इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे) से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस-प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (ix) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी।
- (x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके।

#### सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण

- (xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण में ऐसे आवश्यक प्रावधान (हाईवेअर/सॉफ्टवेअर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वारा जब कभी अपेक्षित हो किसी केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी की जा सके।
- (xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनके द्वारा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए अपने खर्चे पर निर्दिष्ट स्थान(नों) पर आवश्यक उपकरण, सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
- (xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए किसी पूर्व अनुमित/सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिचालनों के किसी विशेष पहलू की सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा से जुड़े पहलुओं तक सीमित होगी जिसमें आपितजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है।
- (xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे।

क्र.सं. क्षेत्र/गतिविधि एफडीआई कैप/				
		ईक्विटी का	प्रवेश मार्ग	
		प्रतिशत		
	(xv) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होने		। 1ओं से संबंधित	
	ऐसी कोई सूचना समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए फार्मेट में प्र		1011 (1 (1-11-1(1	
	(xvi) अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी भारत सरकार या उसके प्र	J	टार्ड या उसके	
	प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्ट, खाते, प्राक्कलन, विवरणियां या	•		
	आविधक अंतरालों पर या अपेक्षित समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।			
	(xvii) सेवाप्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारियों/ट्राई के पदाधिकारियों या उसके प्राधिक्			
	प्रतिनिधि (यों) को अपनी प्रणालियों के परिचालन/विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा।			
	राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें			
	(xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंप			
	परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना औ		•	
	या जनता के हित में अनुमतिधारक/लाइसेंसधारी की अनुमति व			
	अविधयों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध			
	अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को र		र कंपनी को आगे	
	पांच साल की अविध के लिए ऐसी अनुमित प्राप्त करने के लिए अनर्ह ह			
	(xix) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात/उपयोग नहीं करेगी, जो	गैर कानूनी और/ या न	टिवर्क सुरक्षा की	
	खतरे में डालने वाला हो।			
	अन्य शर्ते		>	
	(xx) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में या प्रस			
	इन शर्तों में आशोधन करने या आवश्यक समझी जाने वाली नई शर्तों व			
	(xxi) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित वि			
	सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नीति का उल्लंघन नहीं करता हो।	ानयम, या ।पानयमन	आर सावजानक	
	नात का उल्लंबन नहां करता हा।			
8.	प्रिंट मीडिया			
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार	26 प्रतिशत	सरकारी	
	पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	(एफडीआई और		
		एनआरआई/		
		पीआईओ/		
		एफआईआई द्वारा		
		निवेश)		
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी	26 प्रतिशत	सरकारी	
	पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	(एफडीआई और		
		एनआरआई/		
		पीआईओ/		
		एफआईआई द्वारा		
		निवेश)		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का	प्रवेश मार्ग		
0.2.1	*	प्रतिशत			
8.2.1	अन्य शर्तैः				
	(i) इन दिशा-निदेशों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबं				
	टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने	वाले नियतकालिक प्रव	काशनों के रूप में		
	परिभाषित किया गया है।		ـ د خدـــــ همـ		
	(ii) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्र				
	भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और	प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.	12.2008 का जारा		
8.3	दिशा-निर्देशों के भी अधीन होगा। वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले	100%	<del></del>		
0.5		100%	सरकारी		
	जर्नल/नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक				
	ढांचे और इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के				
8.4	अनुपालन के अधीन होगा विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी		
8.4.1	अन्य शर्तें	100/0	रारपगरा		
0.1.1			<u> </u>		
	(i) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।	जाना चाहिए जिसका प्र	ातकात सस्करण		
	`	नी अधिनियमः १०५४ के	मानुधार्यों के यूट्य		
	(ii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है।				
	(iii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को				
	प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों				
	के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने पर सूचना और प्र				
	और समय समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन		05.2000 471 011(1		
		,			
9.	नागरिक उड्डयन				
	नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और गैर-अन्	पुसूचित घरेलू यात्री से	वाएं, हेलीकॉप्टर		
	सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव	और मरम्मत संगठन	; उड़ान प्रशिक्षण		
	संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं।				
	नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए :				
	(i) 'हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरव	ने का क्षेत्र जहां सामान्य	तौर पर रनवे और		
	विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधा होती है और एयरक्राफ्ट आं	धेनियम, 1934 की धारा	2 के खंड (2) में		
	परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है।				
	(ii) "एरोड्रोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ानें भरने के	लिए पूर्ण रूप से या आंर्र	शेक रूप से प्रयोग		
	में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, र्	जेसमें सभी भवन, शेड,	जहाज, गोदी और		
	अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं।				
	(iii) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बर		•		
	अचेतन के परिवहन की सेवा है चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उ	इड़ान की सेवाओं के माध्	्यम से दी जा रही		
	हो।				
	(iv) "हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है रि	जेसके कारोबार में किरार	या या प्रतिफल के		
	एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है।				

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग		
A. (1.		ईक्विटी का	,4(1 511-1		
		प्रतिशत			
	(A) 110-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	1 1	<u> </u>		
	(v) "विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का				
	जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विम	ान का सुरक्षा या उड़ान	याग्यता क लिए		
	आवश्यक है।				
	(vi) "हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तुत: ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक	या एक से अधिक शक्ति	च्चालित रोटार की		
	मदद से उड़ान भरने वाला विमान से भारी यान से है।				
	(vii) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई				
	परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यत	ापूर्वक व्यवस्थित श्रृंखल	॥ में नियमित रूप		
	से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग	के लिए उपलब्ध हो।			
	(viii) "गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा	से है जो अनुसूचित हवा	ई परिवहन सेवा न		
	हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है।				
	(ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो न	गागरिक उड्डयन मंत्राल	य द्वारा जारी किए		
	गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;				
	(x) "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पा	नी से उड़ने और पानी प	ार उतरने के लिए		
	सामान्य तौर पर सक्षम हो;				
	(xi) "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैं	डलिंग, दोनों में नागरिक	उडडयन मंत्रालय		
	द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दि		`		
	सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर	·			
9.2	हवाईअड्डा				
	(क) नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाएं	100 प्रतिशत	स्वचालित		
	(ख) मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	७४ प्रतिशत तक		
			स्वचालित		
			74 प्रतिशत से		
			अधिक सरकारी		
			मार्ग		
9.3	हवाई परिवहन सेवाएं				
	(1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा	49 प्रतिशत	स्वचालित		
		एफडीआई			
		(एनआरआई के			
		लिए 100 प्रतिशत)			
	(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	74 प्रतिशत	४९ प्रतिशत तक		
		एफडीआई	स्वचालित		
		् (एनआरआई के	् 49 प्रतिशत से		
		लिए 100 प्रतिशत)	अधिक और 74		
			प्रतिशत तक		
			सरकारी मार्ग		
			रार्थियरा जाण		

क्षेत्र/गतिविधि क्र.सं. एफडीआई कैप/ प्रवेश मार्ग ईक्विटी का प्रतिशत स्वचालित (3) हेलीकॉप्टर सेवा/ समुद्री विमान के लिए डीजीसीए की मंजूरी 100 प्रतिशत 9.3.1 अन्य शर्ते (क) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉपटर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं। (ख) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युकत में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान को परिचालित करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति है। (ग) विदेशी एयरलाइनों को अब से अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनके चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति होगी। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे : (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा। (ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश शामिल होंगे। (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा। (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं: क) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; ख) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और ग) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो। (v) ऐसे निवेशों के परिणामसवरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़े हए सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले स्रक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा। **टिप्पणी:** उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा∕ प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो। (घ) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर उक्त (ग) में वर्णित नीति लागू नहीं है। 9.4 नागरिक उड़डयन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं (1) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, 74 प्रतिशत 49 प्रतिशत तक क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन एफडीआई सवचालित (एनआरआई के 49 प्रतिशत से लिए 100 प्रतिशत) अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग (2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और 100 प्रतिशत सवचालित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान 10 पैकेज, पार्सल और अन्य मदों को ले जाने वाली कूरियर सेवाएं जो सवचालित 100 प्रतिशत भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे में नहीं आती हैं, पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
11	निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना		•
11.1	टाउनिशप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी सुविधाएं और निर्माण- विकास परियोजनाएं (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन की सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन जो इन तक ही सीमित नहीं हैं)	100 प्रतिशत	स्वचालित
11.2	निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः (1) प्रत्येक परियोजना के तहत न्यूनतम विकसित किया जाने वाला क्षे (i) सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंड के विकास के मामले में, 10 हेक्टेयर का (ii) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में 50,000 वर्गमीटर का न्य (iii) संयोजन परियोजना के मामले में, ऊपर की दो शर्तों में से कोई एक प् (2) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के लिए न्यूनतम 10 लाख साथ संयुक्त उपक्रम के लिए 5 लाख अमेरिकी डालर का न्यूनतम प्ंजीव छः महीने के भीतर ही निधियों को लाना होगा। (3) न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने के तीन साल से पहले मूल निवेश मूल निवेश का तात्पर्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लायी गयी पूरी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लायी गयी पूरी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्प में लायी गयी पूरी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मत्त में लाते है। (4) सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने की तारीख से पांच साल की अनुमति ती जा सकती है। (4) सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने की तारीख से पांच साल की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'अविकसित निर्धारित विनियमों के तहत सड़क, पानी की आपूर्ति, सड़क पर रो सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेवा-प्राप्त आवासीय भूर पूर्व यह आवश्यक है कि निवेशक इस बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कर एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करे। (5) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों औ स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि उपयोग संबंधी 3 आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप हो अतर्गत भवन/खाका, आंतरिक और परिधीय क्षेत्रों तथा अन्य बुवि डेवलपमेंट, बाहरी विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान तथा स्थानीय निकाय के प्रयोज्य नियमावली/उप नियमावली/विनियम	न्यूनतम भूमि क्षेत्र यूनतम बिल्ट-अप-क्षेत्र य्वास होगी। अमेरिकी डालर और भार को प्रत्यावर्तित नहीं वि राशि से है। तीन वर्ष की ख या न्यूनतम पूंजीकर के लिए एफआईपीबी के व अखंडों' का तात्पर्य ऐसे शनी, जल निकासी, सी बंडों को बेचने की अनुमा राए और संबंधित स्थान र राज्य सरकार/ नगरप्र प्रेक्षाओं और सामुदायिन ना चाहिए। करने के लिए उत्तरद नेयादी संरचनागत सुवि संबंधित राज्य सरक	र के प्रारंभ होने के  नया जा सकता है। ो लॉक-इन-अवधि ण के पूरा होने की माध्यम से सरकार  भी परियोजना का खंडों को बेचने की ो भूखंडों से है जहां विरेज, और अन्य ति प्राप्त करने के नीय निकाय/ सेवा  गिलका/ संबंधित क सुविधाओं और  गयी होगी, जिनके गधाओं का विकास, कार/नगरपालिका/

	\ <u>\</u> -000			
क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग	
		ईक्विटी का		
		प्रतिशत		
	(७) भवन/विकास योजनाओं का अनुमोदन करने वाली राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय यह			
	निगरानी करेगा कि डेवलपर उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करता है कि नहीं।			
	नोट :			
	(i) होटलों और पर्यटन, अस्पतालों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड	इ), शिक्षा क्षेत्र, वृद्धाश्रम	में और अनिवासी	
	भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर उपर्युक्त मद सं (	1) से (4) में बताई ग	ई शर्तें लागू नहीं	
	होंगी।			
	(ii) रियल एस्टेट कारोबार में एफडीआई की अनुमति नहीं है।			
		1		
12	औद्योगिक पार्क - नए और मौजूदा	100 प्रतिशत	स्वचालित	
12.1	(i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें डेवलप की	गई भूमि के प्लॉटों	या इमारतदार क्षेत्र	
	या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर प	र उच्च कोटि की बुनि	ोयादी संरचना का	
	विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटिती इकाइयों	को औद्योगिक कार्यकल	गप के उद्देश्य से	
	उपलब्ध कराया जाता है।			
	(ii) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो	औद्योगिक पार्क में वि	म्थित इकाइयों के	
	कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं। इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंच	ने का मार्ग), जल आपू	र्ति और अप-जल	
	निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरर	नंचार नेटवर्क, बिजली	का उत्पादन व	
	वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं।			
	(iii) "सामान्य सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में ि	स्थित सभी इकाइयों क	ो उपलब्ध कराई	
	जाने वाली सुविधाएं। इनके अंतर्गत बिजली, सड़कें (पहुंचने	का मार्ग), जल आपूर्ी	र्ते और अप-जल	
	निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य			
	सार्वजनिक स्विधा भवन, औद्योगिक कैंटीन कन्वेन्शन/सम्मेव	•		
	सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में			
	स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।			
	(iv) औद्योगिक पार्क में "आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है :			
	(ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल			
	साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र शामिल नह	तें है।		
	. 0	0	` ` ` `	
	(बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में - फर्शी क्षेत्र और साव	मान्य सुविधाए उपलब्ध	र्य करान क लिए	
	प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र।			
	(सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र के संयु	क्त रूप के सामने में	म्याद्या - दे	
	आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फर्शी क्षेत्र, जिसमें			
		सामान्य सुपया पर	तर प्रयुक्त साइट	
	क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है।			
	(v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस	। और जल आपर्तिः डा	क और दरसंचारः	
	सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबे	*	••	
	विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधिर			
	विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान और इंजीनियरी पर आधारभूत और अ			
	एवं प्रबंधन संबंधी परामर्श गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनि			
	रव प्रवचन राजवा वरानरा गासावाववा, सवा वास्तु काला, इनान	17(1 311) 310 4 (14/611	70 YUUUUUUU	

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग		
12.2	औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युक्त पैरा 11 में बताई गई निर्माण विकास पिरयोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :  (i) उनमें कम-से-कम 10 इकाइयां शामिल हों और कोई भी एकल इकाई आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी;  (ii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम न हो।				
12					
13.1	उपग्रह - स्थापना और परिचालन  उपग्रह-स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/ आईएसआरओ के क्षेत्र-विशेष दिशा-निर्देशों के अधीन है।	74 प्रतिशत	सरकार		
14	निजी सुरक्षा एजेंसियां	49 प्रतिशत	सरकार		
15	दूरसंचार सेवाएं (दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I सिहत) सभी टेलिकॉम सेवाएं जिनमें (दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I, अर्थात मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमिशंयल वी-सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी प्रकार के आइएसपी लाइसेंस, वाँइस मेल/आडीओटेक्स/युएमएस, आयपीएलसी की पुनः बिक्री, मोबाईल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवाएं, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी I (डार्क फाइबर, राईट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर प्रदान करने वाले) सिहत। इसमें अन्य सेवाएं प्रदाता शामिल नहीं है।	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग से		
15.1.1	अन्य शर्त : स्वचालित मार्ग से 49% तक और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के 3 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समय-समय पर टेलीकम्युनि लाइसेंसिंग और सुरक्षा संबंधी शर्तों का लाइसेंस-धारी के साथ-साथ के अधीन ।	नेकेशन विभाग द्वारा	यथा अधिसूचित		
16.	ट्यापार				
16.1	(i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार (एमएसई से सोर्सिंग सहित)	100 प्रतिशत	स्वचालित		
16.1.1	परिभाषा : कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार का अभिप्रा वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्त सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं/व्यापारिक माल की बि	गओं या अन्य थोक	व्यापारियों तथा		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि एफडीआई कैप/ प्रवेश मार्ग				
	ईक्विटी का				
	प्रतिशत				
	अर्थ होगा – व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के				
	लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के				
	ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुन: बिक्री,				
	प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्स-पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-बॉन्डेड गोदाम				
	कारोबारी बिक्री तथा बी2बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे।				
16.1.2	कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश				
	(ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण/स्थानीय				
	स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों/विनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित				
	लाइसेंस/पंजीकरण/परिमट प्राप्त किए जाएंगे।				
	(बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा 'कैश एंड कैरी थोक				
	व्यापार/थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब				
	थोक व्यापार निम्नलिखित के साथ किया जाए:				
	(।) बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्क पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं; अथवा				
	(॥) सरकारी प्राधिकारी/सरकारी निकाय/स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा				
	स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात् लाइसेंस/पंजीकरण				
	प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र/पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि				
	लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखनेवाली				
	संस्था/व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा				
	(॥) सरकारी प्राधिकारियों/स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए				
	परमिट/लाइसेंस आदि (जैसे कि हॉकर्स के लिए तेहबजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस)				
	रखनेवाली संस्थाएं; अथवा				
	(IV) निगमन प्रमाणपत्र रखनेवाली संस्थाएं या अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या				
	सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं।				
	टिप्पणी: ऐसी किसी संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी :				
	(सी) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण/ लाइसेंस/परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि जैसे पूरे विवरण के रिकार्ड दैनिक				
	आधार पर रखे जाने चाहिए।				
	(डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है।				
	लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य				
	उद्यम के कुल दर्न ओवर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।				
	(ई) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा				
	सकता है, जिसमें ऋण स्विधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है।				
	(एफ) उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री करने के लिए, थोक/कैश एंड कैरी व्यापारी खुदरा द्कानें				
	नहीं खोल सकेगा।				
16.2	ई-कॉमर्स गतिविधियां 100 प्रतिशत स्वचालित				
	ई-कॉमर्स गतिविधियों का अभिप्राय है - ई-कॉमर्स प्लैटफार्म के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा खरीदने				
	और बेचने की गतिविधि। ऐसी कंपनियां केवल बी2बी ई-कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य				

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	1	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग
		•	ईक्विटी का	
		1	प्रतिशत	
	बातों के साथ-साथ, इसका यह अभि	प्राय होगा कि देशी व्यापार में	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	। संबंधी वर्तमान
	प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागू होंगे।			
16.3	टेस्ट मार्केटिंग			
	गतिविधि हटाई गयी			
16.4	सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार	100 प्रतिशत	49% तक स्वचा	लित मार्ग से ।
			49% से अधिक र	प्तरकारी मार्ग
			से ।	
	(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्या	पार में विदेशी निवेश का उद्दे	श्य है - उत्पादन र	तथा विपणन मे
	निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता	के लिए ऐसी वस्तुओं की उ	पलब्धता में सुधार	लाना, भारत से
	वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्सा	हन देना, तथा वैश्विक डिजाइन	गों, प्रौद्योगिकियों और	प्रबंधन प्रथाओ
	तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उर	यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में द्	द्धि करना।	
	(2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्य	ापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	निम्नलिखित शर्ती	के अधीन किय

(ए) बेचे जानेवाले उत्पाद केवल 'एक ब्रैंड' (सिंगल ब्रैंड) के होंगे।

जाएगा:

- (बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए।
- (सी) 'सिंगल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है।
- (डी) अनिवासी संस्था अथवा संस्थाएं, चाहे ब्रैंड की स्वामी हो/हों अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रैंड के लिए सीधे अथवा ब्रैंड के स्वामी के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद का खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त के अन्पालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद का खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करनेवाली संस्था अनुमोदन प्राप्त करते समय इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी जिसमें लाइसेंसिंग/फ्रैन्चाइज़/उप लाइसेंस करार की प्रतिलिपि, विशेषकर उक्त शर्तों के अनुपालन को दर्शाना शामिल होगा। अपेक्षित साक्ष्य स्वचालित मार्ग के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को और अनुमोदन के मामलों में एसआइए/एफआइपीबी को फाइल किये जाएं।
- (ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य का 30 प्रतिशत सोर्सिंग, भारत से किया जाएगा, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में एमएसएमई, ग्रामीण तथा क्टीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से, जो कंपनी को रखने होंगे, जांच की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि		एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग		
			ईक्विटी का प्रतिशत			
	खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो।					
	(एफ) ई-कॉमर्स के माध्यम			ड उत्पाद खुदरा		
	व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को अनुमत नहीं होगा।					
	(3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों व	J				
	अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लि	•				
	नीति तथा संवर्धन विभाग में एसआः श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख					
	'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए					
	   सरकार का नया अनुमोदन प्राप्त क		-			
	उत्पादों को छोड़कर, प्रस्तावित उत्पाद	द्र श्रेणी की अनुमति भारतीय	रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान	न की जाएगी ।		
	(4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिव	ह जीनि ज्ञा गर्जन विभाग	र में की जासी जिस	में गर निर्धाण		
	ि (४) जावदना पर कारवाइ जावागिन किया जाएगा कि सरकार से अनुमो					
	क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिः		NONZAIAI AIVI IAAIV	, 17(4)		
16.5	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51 प्रतिशत	सरकारी			
	(1) सभी उत्पादों में मल्टी ब्रैंड खुदरा	व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी वि	निवेश की अनुमति नि	म्नलिखित शर्तीं		
	के अधीन दी जाएगी:					
	(i) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दाव	त्रों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन	न तथा मांस उत्पाद सा	हित ताजे कृषि		
	उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं।			0 \0		
	(ii) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदे	• •				
	(iii) 100 मिलियन अमरीकी डालर से-कम 50 प्रतिशत राशि 3 वर्ष वे	•				
	एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधि					
	व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण व	•••		• •		
	डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण,					
	इन्फ्रास्ट्रक्चर, आदि शामिल होंगे। भू	मि की लागत तथा किराए	पर व्यय की गणना, र	प्रदि कोई हो, को		
	बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन वे	के लिए शामिल नहीं किया	जाएगा। कारोबार की 3	अपेक्षा के आधार		
	पर एमबीआरटी रिटेलर आवश्यकतानु					
	(iv) खरीदे गये विनिर्मित/प्रसंस्कृत	•				
	लघु और मध्यम उद्योगों', जिनका स से अधिक न हो, से लिया (सोर्स)	•				
	मूल्यह्नास का प्रावधान नहीं है। रिटेल			_		
	गणना की जाएगी और ऐसे उद्योग व		ŭ			
	ही उक्त रिटेलर के साथ संबंधों के तह	-				
	कृषि सहकारी संस्थाओं और कृषक	प्तहकारी सस्थाओं से की गर	यी खरीद (सोर्स) को ध	भी इसी श्रेणी में		
	माना जाएगा। पहली बार प्राप्त की उ	जाने वाली मात्रा,  5 वर्ष में	ं खरीदे जाने वाले वि	निर्मित/प्रसंस्कृत		
	उत्पाद के कुल मूल्य के औसत के					
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खे	प प्राप्त हुई है। उसके बात	द्र, इसे वार्षिक आधार	पर पूरा किया		
	जाएगा।					

क्र.	.सं.	क्षेत्र/गतिविधि			एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग
					ईक्विटी का	
					प्रतिशत	
			•	,, 0		```

- (v) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (ii), (iii) और (iv) की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते रखेंगे।
- (vi) खुदरा बिक्री आउटलेट 2011 की जनगणना के अनुसार 10लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों अथवा प्राप्त-कर्ता राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार विनिर्दिष्ट किसी अन्य शहर और ऐसे शहरों की म्युनिसिपल/शहरी संपुंज सीमाओं के आस पास के 10 किलोमीटर के दायरे को भी कवर कर सकता है। खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे।
- (vii) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा।
- (viii) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (अनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाए जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनक नाम नीचे दी गए हैं;
  - 1. आंध्र प्रदेश
  - 2. असम
  - 3. दिल्ली
  - 4. हरियाणा
  - 5. हिमाचल प्रदेश<sup>1</sup>
  - 6. जम्मू और कश्मीर
  - 7. कर्नाटक<sup>2</sup>
  - 8. महाराष्ट्र
  - 9. मणिपुर
  - 10. राजस्थान
  - 11. उत्तराखंड
  - 12. दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)

इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमित देने के इच्छुक राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी सहमित की सूचना औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दे सकते हैं और तदनुसार उनके नाम इसमें जोड़ दिये जाएंगे। खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना दुकान तथा संस्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी।

- (ix) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार की अनुमति बहु-ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी।
- (x) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।

क्षेत्र/गतिविधि क्र.सं. एफडीआई कैप/ प्रवेश मार्ग ईक्विटी का प्रतिशत वित्तीय सेवाएं नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी: परिसंपतियों (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी) 17. 17.1 आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय एआरसी 49 प्रतिशत तक स्वचालित आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रदत्त पूंजी का मार्ग से का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के 100 प्रतिशत प्रतिशत से तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो। अधिक सरकारी (FDI तथा F 11) मार्ग से 17.2 अन्य शर्तै: (i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पूनर्गठन कंपनियों की पूंजी में 49% स्वचालित मार्ग से और उससे अधिक सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश पूरी तरह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में होने चाहिए। एआरसी की ईक्विटी पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति नहीं है। (ii) किसी भी प्रवर्तक को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मार्ग अथवा विदेशी संस्थागत मार्ग के द्वारा आस्ति पुनर्गटन कंपनी में 50% से अधिक की शेयर धारिता की अनुमति नहीं होगी । किसी आस्ति पुनर्गटन कंपनी में विदेशी निवेश के लिए निवेश मार्ग और सेक्टोरल कॅप का पालन किया जाना चाहिए । तथापि, किसी एक एफआईआई की आस्ति पुनर्गठन कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता नहीं होनी चाहिए । (iii) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की योजना की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 74% तक निवेश कर सकते हैं। (iv) किसी एक व्यक्ति द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक किया गया निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और प्नर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 (3) (एफ) के प्रावधानों के अधीन होगा। बैंकिंग-निजी क्षेत्र 18. बैंकिंग-निजी क्षेत्र एफआईआई प्रतिशत 18.1 द्वारा 49 किए गए निवेश तक सहित 74 प्रतिशत स्वचालित प्रतिशत 49 से ज्यादा और प्रतिशत 74 तक सरकारी मार्ग अन्य शर्तैः 18.2 (1) 74 प्रतिशत की इस सीमा में शामिल होंगे - पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत एफआईआई व एनआरआई द्वारा किए गए निवेश, पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर, 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर/एडीआर सहित मौजूदा

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग		
		ईक्विटी का			
		प्रतिशत			
	शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे।				
	(2) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होनेवाला विदेशी निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम				
	74 प्रतिशत तक ही अनुमत होगा। किसी विदेशी बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को				
	छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त पूंजी का 26 प्रतिशत हिस्सा सदैव निवासियों के पास रहेगा।				
	(3) ऊपर उल्लिखित शर्ते निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में किए जाव		·		
	(4) एफआईआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्	यम से पोर्टफोलियो वि	नेवेश योजना के		
	तहत किए जानेवाले निवेश की अनुमत सीमा निम्नानुसार होगी:				
	(i) एफआईआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुसार वि				
	प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित है और सभी एफआईआई		*		
	24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इस सीमा को संबंधित				
	प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक को अपने निटे				
	पारित करवाना होगा और उसे बाद में अपनी आम सभा में भी	ो इस आशय का एक	विशेष संकल्प		
	पारित करवाना होगा।				
	(ए) इस तरह से एफआईआई द्वारा किए जानेवाले निवेश	की सीमा कुल प्रदत	त पूंजी के 49		
	प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी।				
	(बी) एनआरआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुस				
	प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिश				
	प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त				
	हो सकती। तथापि, यदि उक्त बैंकिंग कंपनी अपनी आम				
	संकल्प पारित करवा लेती है तो उसमें एनआरआई धारिता व				
	आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक रहने की 3	•			
	(सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम/सहायक संस्था रखनेवाले				
	हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाने चार्				
	विकास प्राधिकारी (इरडा) के परामर्श से विचार करेगा। इसर	~	-		
	कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता के लिए लागू 26 प्रति	ाराप का सामा का उ	<sup>Y</sup> लयन नहा हान		
	पाता। (डी) ऊपर पैरा 3.6.2 में दिए गए अनुसार एफडीआई के अ	ंचर्यच किमी चिरामी	मे अञ्चलमी को		
	शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनु				
	(ई) इन मामलों के संबंध में रिज़र्व बैंक और सेबी, कंपन				
	संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं				
	(एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शेयरों की	•••			
	गया अर्जन इतना हो जाता है कि उससे उस व्यक्ति को उस				
	उससे अधिक का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हासिल हो जाए	• •			
	की खरीद अथवा अन्यथा द्वारा अर्जन करने से संबंधित				
	निवेशकों पर भी लागू होंगे।		1		
	(ii) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था की स्थापना				
	<ul><li>(ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दोनों में सं</li></ul>	ो किसी एक को ही रर	खने की अनुमति		
	दी जाएगी।	, ,	<b>3</b> '		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग		
		ईक्विटी का			
		प्रतिशत			
	(बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व				
	बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों का अनुपालन करते है , उन्हें 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को				
	धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में	पूर्ण स्वामित्ववाली	सहायक संस्था		
	स्थापित कर सकें।				
	(सी) एक विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात् (i) शाखाएं (ii) एक पूर्ण स्वामित्ववाली				
	सहायक संस्था और (iii) किसी निजी बैंक में अधिकतम 7				
	एक सहायक संस्था, में से किसी एक चैनल के माध्यम से ई				
	(डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सह				
	अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहा		•		
	दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौड	·			
	सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बशते				
	अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26 प्रति धारिता में रहे।	शित प्रदत्त पूजी हमेंश	ा निवासियों की		
	(ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था को लाइसेंस प्राप्त	न करने की सभी अपेक्ष	गओं के साथ ही		
	निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए स्थूल रूप से निर्धारित शर्तों	का अनुपालन करना ह	<u>श</u> ेगा।		
	(एफ) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस	था की स्थापना से संबं	धित दिशानिर्देश		
	रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।				
	(जी) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक सं	स्था की स्थापना करव	ने अथवा अपनी		
	मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर	ने से संबंधित सभी आ	वेदन रिज़र्व बैंक		
	को करने होंगे।				
	(iii) इस समय वैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार द				
	संभावित निवेशकों को नोट कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी प		ात निर्णय किए		
	जाने और संसद का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किर	ग जा सकता है।	1		
19.	बैंकिंग – सार्वजनिक क्षेत्र				
19.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र	20 प्रतिशत	सरकार		
		(एफडीआई और			
	1970/80 के अधीन। यह सीलिंग (20 प्रतिशत) भारतीय स्टेट	पोर्टफोलियो निवेश)			
	बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है।				
20.	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)				
20.1	1. पण्यों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनि				
	जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कमोडिटी एक्सचेंज प				
	कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य सर्वोत्तम पद्धतियों, आ	•			
	प्रौयोगिकी को अपनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया ी	क पण्य बाजारा में वि	1दशा ानवश की		
	अनुमति प्रदान की जाए।				
	2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,	·	<del>.</del>		
	(i) "पण्य बाजार" अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के वायदा संविदा कारोबार के लिए एक				
	_	ग पायदा सावदा कारा <u></u>	भार का लिए एक		
	एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध कराता ,	مند من <del>داد لا</del>	ar ( <del>[,                                   </del>		
	(ii) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से	ह । जस आग्रम सीव	दा (।पानयमन)		

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि		एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग		
			ईक्विटी का			
			प्रतिशत			
	अधिनियम १९५२ की धा			। ਸੁਵ੍ਹੇ ਫ਼ੈ।		
		ं व्यक्तियों के ऐसे निकाय, निगमित अथ		-		
		व की बिक्री या खरीद के कारोबार क		•		
	प्रयोजन से गठित किया					
			ें की मार्टगी के जिए	रे भीर जो एक		
	तत्काल सुपुर्दगी संविदा न					
	(v) "कमोडिटी डेरिवेटिव"					
		. स जामप्राय ६ – इंगी की एक संविदा जो तत्काल सुपुर्दगी	। गंतिक जरीं है.			
	ं वस्तुआ का सुपुट अथवा	त्या यम रयम् सायदा जा तत्यमल सुयुद्या	। सायदा नहा ह,			
	० मल्यों में अंतर	की एक ऐसी संविदा जिसका मूल्यन र्क	) गेमतों अथवा ऐसी अन्त	तर्निहित वस्तुओं		
	· ·	सेवाओं, अधिकारों, हितों और घटनाक्रम		•		
		द्वारा वायदा बाजार आयोग के पराम	••			
		तेभूतियां शामिल नहीं होंगी।		•		
20.2	पण्य बाजार में विदेशी प्रत	त्यक्ष निवेश के लिए नीति	49 प्रतिशत	स्वचालित		
			(एफडीआई और			
			एफआईआई)			
			[पंजीकृत			
			एफआईआई द्वारा			
			पोर्टफोलियो निवेश			
			योजना (पीआईएस)			
			के तहत निवेश की			
			सीमा 23 प्रतिशत			
			और एफडीआई			
			योजना के तहत			
			निवेश की सीमा 26			
			प्रतिशत]			
20.3	अन्य शर्तैः			<u> </u>		
	(i)	एफआईआई द्वारा की जानेवाली खरीट	त्को द्वितीयक बाजार	तक ही सीमित		
		रखा जाए, और				
	(ii)	कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, वि	मेलकर कार्य करनेवाले	व्यक्तियों सहित,		
		इन कंपनियों की इक्विटी में 5प्रति	शत से अधिक शेयर	धारित नहीं कर		
		सकते हैं।				
	(iii)	पण्य-शेयर बाजारों में विदेशी निवेश	उपभोक्ता मामलों के	विभाग/ वायदा		
		बाजार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों	के अंतर्गत किया जा	सकेगा।		
21.	ऋण आसूचना कंपनियां (	(सीआईसी)				
21.1	ऋण आसूचना कंपनियां		74 प्रतिशत	स्वचालित		
			(एफडीआई और			
			(एफडाआइ और			

क्षेत्र/गतिविधि क्र.सं. एफडीआई कैप/ प्रवेश मार्ग ईक्विटी का प्रतिशत एफआईआई) अन्य शर्तैः 21.2 (1) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम. २००५ के अधीन होगा। (2) सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमित है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो। (3) किसी पंजीकृत एफआईआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 74 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। (4) इस तरह के एफआईआई निवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते, (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। (बी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सूचना अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई, है नी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे। 22 प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी 22.1 सेबी के विनियमन के अन्पालन में प्रतिभूति बाज़ारों की प्रतिशत स्वचालित मागे 49 इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार ओर (एफडीआई एवं समाशोधन निगम। एफआईआई) [चुकता पूंजी की प्रतिशत सीमा तक एफडीआई और 23 प्रतिशत सीमा तक एफआईआई ] 22.2 22.2.1 एफआईआई केवल द्वितीयक बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं 23 बीमा बीमा 26 प्रतिशत स्वचालित 23.1 23.2 अन्य शर्तें 1) बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत दी गई है। 2) बशर्ते, एफडीआई लानेवाली कंपनियों ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया हो। 24 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) 24.1 एनबीएफसी में स्वचालित मार्ग के तहत केवल निम्नलिखित 100 प्रतिशत स्वचालित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश की अन्मति होगी: (i) व्यापार बैकिंग (ii) हामीदारी अंकन

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/	प्रवेश मार्ग
		ईक्विटी का	
		प्रतिशत	
	(iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं		
	(iv)निवेश परामर्शदात्री सेवाएं		
	(v) वित्तीय परामर्श		
	(vi) शेयर दलाली		
	(vii) आस्ति प्रबंधन		
	(viii) जोखिम पूंजी (वेंचर केपिटल)		
	(ix) अभिरक्षक सेवाएं		
	(x) फैक्टरिंग		
	(xi) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी		
	(xii) लीजिंग तथा वित्त		
	(xiii) आवास वित्त		
	(xiv) विदेशी मुद्रा दलाली		
	(xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार		
	(xvi) मुद्रा परिवर्तन कारोबार		
	(xvii) सूक्ष्म ऋण (माइक्रो क्रेडिट)		
	(xviii) ग्रामीण ऋण		
24.2	अन्य शर्तैः	1	

29

- (1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के अधीन होगा:
- (i) 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे
- (ii) 51 प्रतिशत से अधिक परंत् 75 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे।
- (iii) 75 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन यूएस डालर, जिसमें से 7.5 मिलियन यूएस डालर को प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा।
- (iv) एनबीएफसी जिनमें (i)75 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश है तथा (ii) जिनका न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलियन यूएस डालर है, वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप अनुषंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। तदनुसार, समेकित एफडीआई नीति पर डीआईपीपी द्वारा 10 अप्रैल 2012 को जारी परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुषंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
- (v) संयुक्त उद्यम के रूप में परिचालित होनेवाली एनबीएफसी भी, जिनमें विदेशी निवेश 75 प्रतिशत या उससे कम हैं, अन्य एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुषंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं, बशर्ते अनुषंगी संस्थाएं उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) तथा निम्नलिखित (vi) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों।
- (vi) गैर निधि आधारित गतिविधियां: विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमति प्राप्त सभी गैर निधि आधारित एनबीएफसी को 0.5 मिलियन यूएस डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे:

क्र.सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई कैप/ ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग		
	ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुषंगी संस्थाएं गठित करने और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/ परिचालन कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमित नहीं होगी।				
	टिप्पणीः निम्नलिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगाः (क) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं (ख)वित्तीय परामर्श (ग) विदेशी मुद्रा दलाली (घ) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (ङ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी				
	(vii) ये सभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।  िटप्पणी : (i) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों यथा - क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्धित कार्ड आदि का निर्गमन, बिक्री, विपणन एवं अभिकल्पना शामिल है।  (ii) लीजिंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज़ को ही शामिल किया जाएगा, परिचालन लीज़ इसमें शामिल नहीं होंगी।  (2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, का अनुपालन				
25	करना होगा। <b>फार्मास्यूटिकल्स</b>				
25.1	नई (ग्रीनफील्ड)	100 प्रतिशत	स्वचालित		
25.2	विद्यमान कंपनियां	100 प्रतिशत	सरकार		
26	पावर एक्सचेंज				
26.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49 प्रतिशत (एफडीआई एवं एफआईआई)	स्वचालित (एफडीआई के लिए)		
26.2	अन्य शर्तैः				
	(i) ऐसे विदेशी निवेश एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्र 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे। (ii) एफआईआई निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अनुमित् सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमित लेनी होगी; (iii) एफआईआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही सीमित हो (iv) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर कार्य कर की 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारित नहीं कर सकेंगे; और (v) विदेशी निवेश सेबी के विनियमनों, अन्य लागू कानूनों/ि अनुपालन के अधीन होंगे।	ते होगी तथा एफडीआई गी। रहे व्यक्ति भी शामिल	निवेश के लिए हैं, इन कंपनियों		

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 31

#### RESERVE BANK OF INDIA

#### (Foreign Exchange Department)

(Central Office)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, 30<sup>th</sup> August, 2013

## Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Twelfth Amendment) Regulations, 2013

**G.S.R. 597(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000), (hereinafter referred to as 'the principal Regulations,' namely:—

#### 1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Twelfth Amendment) Regulations, 2013.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from August 22, 2013.@

#### 2. Amendment to Regulation 14

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000), in Regulation 14, in sub-regulation 1.

- a. in clause (i), in sub-clause a, the words, "Company shall be considered 'Controlled' by resident Indian citizens if the residents Indian citizens and Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens, have the power to appoint a majority of its directors in that company" shall be deleted.
- in clause (i), in sub-clause b, the words, "Company 'Controlled' by non-residents means an Indian company where non-residents have the power to appoint a majority of its directors in that company" shall be deleted;
- c. after clause (i),the following shall be added, namely; "(ia) 'Control' shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements."

#### 3. Amendment to Schedule 1

For the existing Annex B, new "Annex B" shall be substituted.

[No. FEMA. 285/2013-RB]

C.D. SRINIVASAN, Chief General Manager

#### Foot Note:-

- (i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these Regulations.
- (ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001

```
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013,
G.S.R.No.____ dated __
G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013,
G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013,
G.S.R.No.530(E) dated 05.08.2013, and
G.S.R.No. dated
```

Annex B

#### Sector-specific policy for foreign investment

In the following sectors/activities, FDI up to the limit indicated against each sector/activity is allowed, subject to applicable laws/ regulations; security and other conditionalities. In sectors/activities not listed below, FDI is permitted upto 100% on the automatic route, subject to applicable laws/regulations; security and other conditionalities.

Wherever there is a requirement of minimum capitalization, it shall include share premium received along with the face value of the share, only when it is received by the company upon issue of the shares to the non-resident investor. Amount paid by the transferee during post-issue transfer of shares beyond the issue price of the share, cannot be taken into account while calculating minimum capitalization requirement.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>		
	ULTURE	T	_		
1.	Agriculture & Animal Husbandry	1000			
	<ul> <li>Floriculture, Horticulture, Apiculture and Cultivation of Vegetables &amp; Mushrooms under controlled conditions;</li> </ul>	100%	Automatic		
	regembles & Musilionins under controlled conditions,				
	b) Development and production of Seeds and planting material;				
	c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisciculture, Aquaculture, under controlled conditions; and				
	d) services related to agro and allied sectors				
	Note: Besides the above, FDI is not allowed in any other agricultural sector/activity				
1.1	Other Conditions:				
	I. For companies dealing with development of transgenic se apply:	eds/vegetables, the fo	ollowing conditions		
	(i) When dealing with genetically modified seeds or pla with safety requirements in accordance with laws enacted ur the genetically modified organisms.				
	(ii) Any import of genetically modified materials conditions laid down vide Notifications issued under Foreign 7 1992.				
	(iii) The company shall comply with any other Law, Re modified material in force from time to time.	gulation or Policy go	verning genetically		
	(iv) Undertaking of business activities involving the use of genetically engineered cells and material shall be subject to the receipt of approvals from Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) and Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM).				
	(v) Import of materials shall be in accordance with National Seeds Policy.				
	II. The term 'under controlled conditions' covers the following:				
	□ 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically.				
	☐ In case of Animal Husbandry, scope of the term 'under con	ntrolled Conditions'	covers –		
	<ul> <li>Rearing of animals under intensive farming systems system will require climate systems (ventilation, temperat and nutrition, herd registering/pedigree recording, systems.</li> </ul>	ure/humidity manage	ment), health care		
	o Poultry breeding farms and hatcheries where micro-contechnologies like incubators, ventilation systems etc.	climate is controlled	through advanced		
	☐ In the case of pisciculture and aquaculture, scope of covers –	f the term 'under co	ntrolled conditions'		

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>		
	o Aquariums				
	•				
	o Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control.				
	$\square$ In the case of apiculture, scope of the term "under controlled conditions" covers –				
	o Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons.				
2	Tea Plantation				
2.1	Tea sector including tea plantations	100%	Government		
	Note: Besides the above, FDI is not allowed in any other plantation sector/activity				
2.2	Other Condition:	-ff11	1		
	Prior approval of the State Government concerned in case	of any future land us	se change.		
3	MINING				
3.1	Mining and Exploration of metal and non metal ores	100%	Automatic		
	including diamond, gold, silver and precious ores but				
	excluding titanium bearing minerals and its ores;				
	<b>subject to</b> the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.				
	Regulation) Act, 1937.				
3.2	Coal and Lignite				
	(1) Coal & Lignite mining for captive consumption by	100%	Automatic		
	power projects, iron & steel and cement units and other eligible activities permitted under and <b>subject to</b> the				
	provisions of Coal Mines (Nationalization) Act, 1973				
	(2) Catting up and managing plants like weekering	100%	Automotic		
	(2) Setting up coal processing plants like washeries, subject to the condition that the company shall not do	100%	Automatic		
	coal mining and shall not sell-washed coal or sized				
	coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties				
	who are supplying raw coal to coal processing plants for				
	washing or sizing.				
3.3	Mining and mineral separation of titanium bearing min	l erals and ores. its v	l value addition and		
	integrated activities		www.		
3.3.1	Mining and mineral separation of titanium bearing	100%	Government		
	minerals & ores, its value addition and integrated				
	activities subject to sectoral regulations and the Mines and				
	Minerals (Development and Regulation Act 1957)				
3.3.2	Other conditions:				
	India has large reserves of beach sand minerals in the coastal stretches around the country. Titanium				
	bearing minerals viz. Ilmenite, rutile and leucoxene, and Zirconium bearing minerals including				
	zircon are some of the beach sand minerals which have be	een classified as 'pre	scribed substances'		
	under the Atomic Energy Act, 1962.				
	Under the Industrial Policy Statement 1991, mining and production of minerals classified as				
	'prescribed substances' and specified in the Schedule to	•			
	Production and Use) Order, 1953 were included in the	e list of industries	reserved for the		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण <u>35</u>

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route		
	public sector. Vide Resolution No. 8/1(1)/97-PSU/1422 of				
	Department of Atomic Energy laying down the policy for exploitation of beach sand minerals,				
	private participation including Foreign Direct Investment (FDI), was permitted in mining and				
	production of Titanium ores (Ilmenite, Rutile and Leucoxene) and Zirconium minerals (Zircon).				
	Vide Notification No. S.O.61(E) dated 18.1.2006, the Department of Atomic Energy re-notified the list of 'prescribed substances' under the Atomic Energy Act 1962. Titanium bearing ores and concentrates (Ilmenite, Rutile and Leucoxene) and Zirconium, its alloys and compounds and minerals/concentrates including Zircon, were removed from the list of prescribed substances'.				
	<ul> <li>(i) FDI for separation of titanium bearing minerals &amp; ores will be subject to the following additional conditions viz.: <ul> <li>(A) value addition facilities are set up within India along with transfer of technology;</li> <li>(B) disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987.</li> </ul> </li> <li>(ii) FDI will not be allowed in mining of 'prescribed substances' listed in the Notification No. S.O. 61(E) dated 18.1.2006 issued by the Department of Atomic Energy.</li> <li>Clarification: (1) For titanium bearing ores such as Ilmenite, Leucoxene and Rutile, manufacture of titanium dioxide pigment and titanium sponge constitutes value addition. Ilmenite can be processed to produce 'Synthetic Rutile or Titanium Slag as an intermediate value added product.</li> </ul>				
	(2) The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting up downstream industries and the technology available internationally is also made available for setting up such industries within the country. Thus, if with the technology transfer, the objective of the FDI Policy can be achieved, the conditions prescribed at (i) (A) above shall be deemed to be fulfilled.				
4	Petroleum & Natural Gas				
4.1	Exploration activities of oil and natural gas	100%	Automatic		
	fields, infrastructure related to marketing of petroleum				
	products and natural gas, marketing of natural gas and				
	petroleum products, petroleum product pipelines, natural				
	gas/pipelines, LNG Regasification infrastructure, market				
	study and formulation and Petroleum refining in the private				
	sector, subject to the existing sectoral policy and				
	regulatory framework in the oil marketing sector and the				
	policy of the Government on private participation in				
	exploration of oil and the discovered fields of national oil				
4.2	companies  Petroleum refining by the Public Sector Undertakings	49%	Automotio		
4.2	(PSU), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.	49 70	Automatic		
	MANUFACTURING				
5	Manufacture of items reserved for production in				
	Micro and Small Enterprises (MSEs)				
5.1	FDI in MSEs [as defined under Micro, Small And Medium Enterprises Development Act, 2006				
	(MSMED, Act 2006)] will be subject to the sectoral caps,		*		
	regulations. Any industrial undertaking which is not a Micro or Small Scale Enterprise, but manufactures items reserved for the MSE sector would require Government route where foreign investment is more than 24% in the capital. Such an undertaking would also require an Industrial License under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, for such manufacture. The issue of Industrial License is subject to a few general conditions and the specific condition that the				
	Industrial Undertaking shall undertake to export a minimum of 50% of the new or additional annual production of the MSE reserved items to be achieved within a maximum period of three years. The export obligation would be applicable from the date of commencement of commercial				

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route		
	production and in accordance with the provisions of section	on 11 of the Industri			
	Regulation) Act, 1951.				
6	DEFENCE				
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951	26%	Up to 26% Government. Above 26% to Cabinet Committee on Security (CCS) on case to case basis, which ensure access to modern and 'state-of-art'		
			technology in		
			the country.		
6.2	Other conditions:	•			
	<ul> <li>(i) Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy &amp; Promotion, Ministry of Commerce &amp; Industry, in consultation with Ministry of Defence.</li> <li>(ii) The applicant should be an Indian company/partnership firm.</li> <li>(iii) The management of the applicant company/partnership should be in Indian hands with majority</li> </ul>				
	representation on the Board as well as the Chief Executives of the company/partnership firm being resident Indians.  (iv) Full particulars of the Directors and the Chief Executives should be furnished along with the				
	applications.  (v) The Government reserves the right to verify the antecedents of the foreign collaborators and domestic promoters including their financial standing and credentials in the world market. Preference would be given to original equipment manufacturers or design establishments, and companies having a good track record of past supplies to Armed Forces, Space and Atomic energy sections and having an established R & D base.				
	(vi) There would be no minimum capitalization for the FDI. A proper assessment, however, needs to be done by the management of the applicant company depending upon the product and the technology. The licensing authority would satisfy itself about the adequacy of the net worth of the non-resident investor taking into account the category of weapons and equipment that are proposed to be manufactured.				
	(vii) There would be a three-year lock-in period for transfer of equity from one non-resident investor to another non-resident investor (including NRIs & erstwhile OCBs with 60% or more NRI stake) and such transfer would be subject to prior approval of the Government.				
	(viii) The Ministry of Defence is not in a position to give purchase guarantee for products to be manufactured. However, the planned acquisition programme for such equipment and overall requirements would be made available to the extent possible.				
	(ix)The capacity norms for production will be provided in the licence based on the application as well as the recommendations of the Ministry of Defence, which will look into existing capacities of similar and allied products.				
	(x) Import of equipment for pre-production activity including development of prototype by the applicant company would be permitted.				
	(xi) Adequate safety and security procedures would need to be put in place by the licensee once the licence is granted and production commences. These would be subject to verification by authorized Government agencies.				

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity		
	(xii) The standards and testing procedures for equipment to collaborators or from indigenous R & D will have to be proved			
n	nominated quality assurance agency under appropriate confid	lentiality clause. The	nominated quality	
	assurance agency would inspect the finished product and of the Quality Assurance Procedures of the licensee. Self			
	Ministry of Defence on case to case basis, which may involve			
n	manufactured by the licensee. Such permission would be for a	fixed period and subj	ect to renewals.	
	(xiii) Purchase preference and price preference may be given to the Public Sector organizations as per guidelines of the Department of Public Enterprises.			
M ti I n I	(xiv) Arms and ammunition produced by the private manu- Ministry of Defence. These items may also be sold to other of the Ministry of Home Affairs and State Governments with Defence. No such item should be sold within the country to a manufactured items would be subject to policy and guidelines Defence Public Sector Undertakings. Non-lethal items would	Government entities to the prior approval any other person or er as applicable to Ord be permitted for sale	under the control of of the Ministry of ntity. The export of nance Factories and to persons / entities	
I	other than the Central of State Governments with the prior Licensee would also need to institute a verifiable system of re Violation of these provisions may lead to cancellation of the lice	moval of all goods of		
(	(xv) Investment by Foreign Institutional Investors (FIIs) throug	ch portfolio investmen	at is not permitted.	
t	(xvi) All applications seeking permission of the Governme the Secretariat of the Foreign Investment Promotion Board Affairs.			
i (	(xvii) Applications for FDI up to 26% will follow the existinflows in excess of Rs. 1200 crore being approved by Ca (CCEA). Applications seeking permission of the Government examined additionally by the Department of Defence Produparticularly of access to modern and 'state-of-art' technology.	abinet Committee on for FDI beyond 26%.	Economic Affairs, will in all cases be	
Š	(xviii) Based on the recommendation of the DoDP and FIPE Security (CCS) will be sought by the DoDP in respect of case modern and 'state-of-art' technology in the country.			
ì	(xix) Proposals for FDI beyond 26% with proposed inflow in the approved by CCS will not require further approval of the (CCEA).			
	(xx) Government decision on applications to FIPB for FDI in decommunicated within a time frame of 10 weeks from the date of		r will be normally	
SERVICES SECTOR				
	INFORMATION SERVICES 7 Broadcasting			

<u>SERVICES SECTOR</u>				
INFOR	INFORMATION SERVICES			
7	Broadcasting			
7.1	Broadcasting Carriage Services			
7.1.1	(1) <b>Teleports</b> (setting up of up-linking HUBs/ Teleports);	74%	Automatic up	
	(2) Direct to Home (DTH);		to 49%	
	(3) Cable Networks (Multi System operators (MSOs)			
	operating at National or State or District level and		Government	
	undertaking upgradation of networks towards digitalization		route beyond	
	and addressability);		49% and up to	
	(4) Mobile TV;		74%	
	(5)Headend-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)			
7.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking upgradation	49%	Automatic	
	of networks towards digitalization and addressability and			
	Local Cable Operators (LCOs).			

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>
7.2	<b>Broadcasting Content Services</b>		
7.2.1	Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio), subject to	26%	Government
	such terms and conditions, as specified from time to time,		
	by Ministry of Information & Broadcasting, for grant of		
	permission for setting up of FM Radio stations.		
7.2.2	Up-linking of 'News & Current Affairs' TV Channels	26%	Government
7.2.3	Up-linking a Non-'News & Current Affairs' TV	100%	Government
	Channels/ Down- linking of TV Channels		
7.3	FDI for Up-linking/Down-linking TV Channels will be subj	ect to compliance wi	th the relevant Up-
	linking/Down-linking Policy notified by the Ministry of Inforn	nation & Broadcasting	g from time to time.
7.4	Foreign investment (FI) in companies engaged in all the aforest	stated services will be	subject to relevant
	regulations and such terms and conditions, as may be specifie	ed from time to time,	by the Ministry of
	Information and Broadcasting.		
7.5	The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the aforestated activities shall include, in		
	addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investo	rs (FIls), Non-Reside	ent Indians (NRIs),
	Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), American	Depository Receipt	s (ADRs), Global
	Depository Receipts (GDRs) and convertible preference shares	s held by foreign entiti	ies.
7.6	Foreign investment in the aforestated broadcasting carriage s	services will be subje	ct to the following
	security conditions/terms:		
	Cooding Conditions, Condition		

## Mandatory Requirement for Key Executives of the Company

- (i) The majority of Directors on the Board of the Company shall be Indian Citizens.
- (ii) The Chief Executive Officer (CEO), Chief Officer In-charge of technical network operations and Chief Security Officer should be resident Indian Citizens.

## **Security Clearance of Personnel**

(iii) The Company, all Directors on the Board of Directors and such key executives like Managing Director / Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), shareholders who individually hold 10% or more paid-up capital in the company and any other category, as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, shall require to be security cleared.

In case of the appointment of Directors on the Board of the Company and such key executives like Managing Director / Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), etc., as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, prior permission of the Ministry of Information and Broadcasting shall have to be obtained.

It shall be obligatory on the part of the company to also take prior permission from the Ministry of Information and Broadcasting before effecting any change in the Board of Directors.

(iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more that 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years.

## Permission vis-a-vis Security Clearance

- (v) The permission shall be subject to permission holder/licensee remaining security cleared throughout the currency of permission. In case the security clearance is withdrawn the permission granted is liable to be terminated forthwith.
- (vi) In the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel is denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years.

## Infrastructure/Network/Software related requirement

(vii) The officers/officials of the licensee companies dealing with the lawful interception of Services

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 39

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>	
51. 110.	will be resident Indian citizens.	76 of Cap/Equity	Entry Route	
	(viii) Details of infrastructure/network diagram (technical detains a need basis only, to equipment suppliers/manufactures and Clearance from the licensor would be required if such informat	the affiliate of the	licensee company.	
	(ix) The Company shall not transfer the subscribers' databases permitted by relevant Law.	The Company shall not transfer the subscribers' databases to any person/place outside India unless mitted by relevant Law.		
	(x) The Company must provide traceable identity of their subsc	cribers.		
	Monitoring, Inspection and Submission of Information (xi) The Company should ensure that necessary provision (lequipment for doing the Lawful interception and monitoring to required by Government.			
	(xii) The company, at its own costs, shall, on demand representative, provide the necessary equipment, services a continuous monitoring or the broadcasting service by or undeauthorized representative.	nd facilities at design	gnated place(s) for	
	(xiii) The Government of India, Ministry of Information representative shall have the right to inspect the broadcasting find shall be required to exercise the right of Government or its attended inspection. The company will, if required by the Government necessary facilities for continuous monitoring for any particular operations. Continuous monitoring, however, will be confineduding screening of objectionable content.	facilities. No prior pe uthorized representat or its authorized rep ar aspect of the comp	ermission/intimation ive to carry out the resentative, provide pany's activities and	
	(xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the gover & Broadcasting or its authorized representative after reasonabl giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection	le notice, except in c		
	(xv) The company shall submit such information with respect Government or its authorized representative, in the format as m			
	(xvi) The permission holder/licensee shall be liable to furnish to representative or TRAI or its authorized representative, such such other relevant information and at such periodic intervals of	reports, accounts, e	stimates, returns or	
	(xvii) The service providers should familiarize/train designated of TRAI or its authorized representative(s) in respect of relevan			
	<b>National Security Conditions</b>			
	(xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee C area from the National Security angle. The Government of Broadcasting shall have the right to temporarily suspen holder/Licensee in public interest or for national security for The company shall immediately comply with any directives permission issued shall be revoked and the company disquafuture, for a period or five years.	of India, Ministry of and the permission such period or perion issued in this regard	of Information and of the permission ds as it may direct. d failing which the	
	(xix) The company shall not import or utilize any equipment, render network security vulnerable.	which are identified	as unlawful and/or	
	Other conditions			

(xx) Licensor reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route
	necessary in the interest of national security and public interes	t or for proper provis	
	services.		_
	(xxi) Licensee will ensure that broadcasting service installation		
	safety hazard and is not in contravention of any statute, rule or	regulation and public	policy.
8	Print Media		
8.1	Publishing of Newspaper and periodicals dealing with	26% (FDI and	Government
	news and current affairs	investment by	
0.5		NRIs/PIOs/FII)	
8.2	Publication of Indian editions of foreign magazines dealing	26% (FDI and	Government
	with news and current affairs	investment	
0.2.1		NRIs/PIOs/FII)	
8.2.1	Other Conditions:		1.11 41 1 1.4
	(i) 'Magazine', for the purpose of these guidelines, will be defi		iblication, brought
	out on non-daily basis, containing public news or comments on		dian aditions of
	(ii) Foreign investment would also be subject to the Guidelines		
	foreign magazines dealing with news and current affairs iss & Broadcasting on 4.12.2008.	ued by the Millist	ry of illiorillation
8.3	Publishing / printing of Scientific and Technical Magazines	100%	Government
6.5	/ specialty journals / periodicals, subject to compliance with	100 /6	Government
	the legal framework as applicable and guidelines issued in		
	this regard from time to time by Ministry of		
	Information and Broadcasting.		
8.4	Publication of facsimile edition of foreign newspapers	100%	Government
8.4.1	Other Conditions:	10070	So ( Crimine in )
	(i) FDI should be made by the owner of the original foreign	newspapers whose	facsimile edition is
	proposed to be brought out in India.	1 1	
	(ii) Publication of facsimile edition of foreign newspapers	s can be undertaken	only by an entity
	incorporated or registered in India under the provisions of the C	Companies Act, 1956.	
	(iii) Dublication of foodinile edition of foreign negrous and	uld also be subject to	the Cuidelines for
	(iii) Publication of facsimile edition of foreign newspaper wo publication of newspapers and periodicals dealing with new		
	facsimile edition of foreign newspapers issued by Minist		
	31.3.2006, as amended from time to time.	ry or information c	x broadcasting on
9	Civil Aviation		
9.1	The Civil Aviation sector includes Airports, Scheduled and Non-Scheduled domestic passenger airlines,		
	Helicopter services/Seaplane services, Ground Handling S		
	organizations; Flying training institutes; and Technical training		
	For the purposes of the Civil Aviation sector:		
	(i) 'Airport' manne a landing and taking off area for airpr	ofte nepolly with m	unways and aircraft
	(i) 'Airport' means a landing and taking off area for aircr maintenance and passenger facilities and includes aerodrome a		
	Aircraft Act, 1934;	is defined in clause (2	.) of section 2 of the
	111011111111111111111111111111111111111		
	(ii) "Aerodrome" means any definite or limited ground of	or water area intende	ed to be used, either
	wholly or in part, for the landing or departure of aircraft, and in		
	and other structures thereon or pertaining thereto;	<i>G</i> -,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	(iii) "Air transport service" means a service for the transp		
	thing, animate or inanimate, for any kind of remuneration wha	atsoever, whether su	ch service consists
	of a single flight or series of flights;		
	(iv) "Air Transport Undertaking" means an undertaking wh	nose business include	es the carriage by air
	of passengers or cargo for hire or reward;		
	(x) "Aircroft component" macro care most the constitution	and compact from ati-	ac of which
	(v) "Aircraft component" means any part, the soundness a		
	fitted to an aircraft, is essential to the continued airworthi any item of equipment;	ness or safety of the a	merani and includes
	any tom of equipment,		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 41

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>		
	(vi) "Helicopter" means a heavier-than -air aircraft supported or more power driven rotors on substantially vertical axis;	in flight by the reaction	ons of the air on one		
	(vii) "Scheduled air transport service" means an air transport service undertaken between the same two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series, each flight being open to use by members of the public;				
	(viii) "Non-Scheduled Air Transport service" means any service which is not a scheduled air transport service and will include Cargo airlines;				
	(ix) "Cargo airlines" would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviat Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation;				
	(x) "Seaplane" means an aeroplane capable normally of taking	off from and alighting	g solely on water;		
	(xi) "Ground Handling" means (i) ramp handling, (ii) traffic handling both of which shall include t activities as specified by the Ministry of Civil Aviation through the Aeronautical Information Circula from time to time, and (iii) any other activity specified by the Central Government to be a part of eith ramp handling or traffic handling.				
9.2	Airports				
	(a) Greenfield projects	100%	Automatic		
	(b) Existing projects	100%	Automatic up to 74%		
			Government route beyond 74%		
9.3	Air Transport Services				
	(1) Scheduled Air Transport Service / Domestic Scheduled	49% FDI	Automatic		
	Passenger Airline (2) Non-Scheduled Air Transport Service	(100% for NRIs) 74% FDI	Automatic up to		
	(2) Non-Scheduled All Transport Service	(100% for NRIs)	49%		
		(000,000,000,000,000,000,000,000,000,00	Government route beyond 49% and up to 74%		
	(3) Helicopter services / seaplane services requiring DGCA approval	100%	Automatic		
9.3.1	Other Conditions	<u> </u>	1		
	(a) Air Transport Services would include Domestic Scheduled Passenger Airlines; Non-Scheduled A. Transport Services, helicopter and seaplane services.				
	(b) Foreign airlines are allowed to participate in the equity helicopter and seaplane services, as per the limits and entry rou				
	<ul> <li>(c) Foreign airlines are also, henceforth, allowed to invest, in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. Such investment would be subject to the following conditions: <ol> <li>(i) It would be made under the Government approval route.</li> <li>(ii) The 49% limit will subsume FDI and FII investment.</li> <li>(iii) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI, such at the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations.</li> </ol> </li></ul>				

Sl. No. Sector / Activity % of Cap/Equity | Entry Route (iv) A Scheduled Operator's Permit can be granted only to a company: a) that is registered and has its principal place of business within India; b) the Chairman and at least two-thirds of the Directors of which are citizens of India; and c) the substantial ownership and effective control of which is vested in Indian nationals. (v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment; (vi) All technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation. Note: The FDI limits/entry routes, mentioned at paragraph 9.3(1) and 9.3(2) above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airlines. (d) The policy mentioned at (c) above is not applicable to M/s Air India Limited. 9.4 Other services under Civil Aviation sector (1) Ground Handling Services subject to sectoral 74% FDI (100% Automatic up to regulations and security clearance for NRIs) 49% Government route beyond 49% and up to 74% (2) Maintenance and Repair organizations; flying training 100% Automatic institutes; and technical training institutions Automatic 10 Courier services for carrying packages, parcels and 100% other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters. 11 Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure 11.1 housing, built-up infrastructure Townships, 100% Automatic construction-development projects (which would include, but not be restricted to, housing, commercial premises, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure) 11.2 Investment will be subject to the following conditions: (1) Minimum area to be developed under each project would be as under: (i) In case of development of serviced housing plots, a minimum land area of 10 hectares (ii) In case of construction-development projects, a minimum built-up area of 50,000 sq.mts (iii) In case of a combination project, any one of the above two conditions would suffice (2) Minimum capitalization of US\$10 million for wholly owned subsidiaries and US\$5 million for joint ventures with Indian partners. The funds would have to be brought in within six months of commencement of business of the Company. (3) Original investment cannot be repatriated before a period of three years from completion of minimum capitalization. Original investment means the entire amount brought in as FDI. The lock-in period of three years will be applied from the date of receipt of each installment/tranche of FDI or from the date of completion of minimum capitalization, whichever is later. However, the investor may be permitted to exit earlier with prior approval of the Government through the FIPB. (4) At least 50% of each such project must be developed within a period of five years from the date of obtaining all statutory clearances. The investor/investee company would not be permitted to sell

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route	
	undeveloped plots. For the purpose of these guidelines, 'undeveloped plots' will mean where roads, water supply, street lighting, drainage, sewerage, and other conveniences, as applicable under prescribed regulations, have not been made available. It will be necessary that the investor provides this infrastructure and obtains the completion certificate from the concerned local body/service agency before he would be allowed to dispose of serviced housing plots.			
	(5) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements and provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the State Government/Municipal/Local Body concerned.			
	including those of the building/layout plans, developing infrastructure facilities, payment of development, external	The investor/investee company shall be responsible for obtaining all necessary approval uding those of the building/layout plans, developing internal and peripheral areas and other astructure facilities, payment of development, external development and other charges are applying with all other requirements as prescribed under applicable rules/bye-laws/regulations of the Government/Municipal/Local Body concerned.		
	(7) The State Government/Municipal/Local Body concerned, would monitor compliance of the above conditions by the		uilding/development	
	Note:			
	(i) The conditions at (1) to (4) above would not apply to Economic Zones (SEZs), Education Sector, Old age Homes and			
	(ii) FDI is not allowed in Real Estate Business.			
12	Industrial Parks – new and existing	100%	Automatic	
12.1	(i) "Industrial Park" is a project in which quality infrastructure built up space or a combination with common facilities, is allottee units for the purposes of industrial activity.	in the form of plots of	of developed land or	
	(ii) "Infrastructure" refers to facilities required for functioning includes roads (including approach roads), water supply and facility, telecom network, generation and distribution of power	sewerage, common		
	(iii) "Common Facilities" refer to the facilities available for all the units located in the industrial par and include facilities of power, roads (including approach roads), water supply and sewerag common effluent treatment, common testing, telecom services, air conditioning, common facili buildings, industrial canteens, convention/conference halls, parking, travel desks, security service first aid center, ambulance and other safety services, training facilities and such other facilities mean for common use of the units located in the Industrial Park.			
	(iv) "Allocable area" in the Industrial Park means-			
	(a) in the case of plots of developed land - the net site excluding the area for common facilities.	area available for allo	ocation to the units,	
	(b) in the case of built up space - the floor area and built facilities.	up space utilized for	providing common	
	(c) in the case of a combination of developed land and built-up space - the net site and floor ar available for allocation to the units excluding the site area and built up space utilized f providing common facilities.			
	(v) "Industrial Activity" means manufacturing; electricity telecommunications; software publishing, consultancy and activities and distribution of electronic content; other comp R&D on bio-technology, pharmaceutical sciences/life scien	l supply; data pro outer related activities	s; basic and applied	

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route	
51. 110.	business and management consultancy activities; and archit			
	activities.			
12.2	FDI in Industrial Parks would not be subject to the conditionalities applicable for construction development projects etc. spelt out in para 11 above, provided the Industrial Parks meet with the undermentioned conditions:			
	(i) it would comprise of a minimum of $10$ units and no single unit shall occupy more than $50\%$ of the allocable area;			
	(ii) the minimum percentage of the area to be allocated for 66% of the total allocable area.	or industrial activity s	hall not be less than	
13	Satellites – Establishment and operation			
13.1	Satellites – Establishment and operation, subject to the sectoral guidelines of Department of Space / ISRO	74%	Government	
14	Private Security Agencies	49 %	Government	
15	Telecom services (including Telecom Infrastructure Providers Category-l)	100%	Automatic up to 49%	
	All telecom services including Telecom Infrastructure Providers Category-I, viz. Basic, Cellular, United Access Services, Unified license (Access services), Unified License, National/International Long Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services (GMPCS), All types of ISP licences, Voice Mail/Audiotex/UMS, Resale of IPLC, Mobile Number Portability Services, Infrastructure Provider Category-I (providing dark fibre, right of way, duct space, tower) except Other Service Providers.		Above 49% Government.	
15.1.1	Other condition:  FDI upto 100% with 49% under automatic route and beyo observance of licensing and security conditions by licensee Department of Telecommunications (DoT) from time to time.			
16	TRADING			
16.1	(i) Cash & Carry Wholesale Trading / Wholesale Trading (including sourcing from MSEs)	100%	Automatic	
16.1.1	Definition: Cash & Carry Wholesale trading/Wholesale trading, would mean sale of goods/merchandise to retailers, industrial, commercial, institutional or other professional business users or to other wholesalers and related subordinated service providers. Wholesale trading would, accordingly, be sales for the purpose of trade, business and profession, as opposed to sales for the purpose of personal consumption. The yardstick to determine whether the sale is wholesale or not would be the type of customers to whom the sale is made and not the size and volume of sales. Wholesale trading would include resale, processing and thereafter sale, bulk imports with ex-port/ex-bonded warehouse business sales and B2B e-Commerce.			
16.1.2	Guidelines for Cash & Carry Wholesale Trading/Wholesale	e Trading (WT):		
	(a) For undertaking WT, requisite licenses / registrati relevant Acts/Regulations / Rules / Orders of the State Govern Authority/Local Self-Government Body under that State Government Body under that State Government Body	ment / Government		
	(b) Except in case of sales to Government, sales made by the & carry wholesale trading/wholesale trading' with valid busin to the following entities:			

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>	
	(I) Entities holding sales tax / VAT registration /service ta	x /excise duty registra	tion; or	
	(II) Entities holding trade licenses i.e. a license/registration certificate/membership certificate/registration under Shops and Establishment Act, issued by a Government Authority/ Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity/person holding the license/ registration certificate/ membership certificate, as the case may be, is itself/ himself/herself engaged in a business involving commercial activity; or			
	(III) Entities holding permits/license etc. for undertaking retail trade (like tehbazari and simila license for hawkers) from Government Authorities / Local Self Government Bodies; or			
	(IV) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self consumption.			
	Note: An Entity, to whom WT is made, may fulfill	any one of the 4 cond	litions.	
	(c) Full records indicating all the details of such sales registration/license/permit etc. number, amount of sale etc. sho			
	(d) WT of goods would be permitted among companies of group companies taken together should not exceed 25% of the			
	(e) WT can be undertaken as per normal business practice, including extending credit facilities subject to applicable regulations.			
	(f) A Wholesale / Cash & carry trader cannot open retail shops	to sell to the consume	er directly.	
16.2	E-commerce activities	100%	Automatic	
	E-commerce activities refer to the activity of buying and sellin platform. Such companies would engage only in Business to B retail trading, inter-alia implying that existing restrictions or applicable to e-commerce as well.	usiness (B2B) e-com	merce and not in	
16.3	Test marketing - Activity deleted	-		
16.4	Single Brand product retail trading	100%	Up to 49% Automatic. Above 49% Government	
	(1) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprise through access to global designs, technologies and management practices.			
	(2) FDI in Single Brand product retail trading would be s	subject to the following	ng conditions:	
	(a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only	<b>/</b> .		
	(b) Products should be sold under the same brand in under the same brand in one or more countries other than		ducts should be sold	
	(c) 'Single Brand' product-retail trading would cover manufacturing.	only products which	are branded during	
	(d) A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake single brand product retail trading in the country, for the specific brand, directly or through a legally tenable agreement, with the brand owner for undertaking single brand product			

CI NI-	Conton   A -44	Of of Con E	Entury D t -
Sl. No.	Sector / Activity retail trading. The onus for ensuring compliance with this	<b>% of Cap/Equity</b> s condition will rest w	
	carrying out single-brand product retail trading in Ind		
	evidence to this effect at the time of seeking	approval, including	g a copy of the
	licensing/franchise/sub-licence agreement, specifically		
	condition. The requisite evidence should be filed with SIA/FIPB for cases involving approval.	i lie kbi for the a	utomatic route and
	SILVI II D for cases involving approvai.		
	(e) In respect of proposals involving FDI beyond		
	goods purchased, will be done from India, preferably		
	industries, artisans and craftsmen in all sectors. The que certified by the company, to be subsequently checked, by		
	accounts which the company will be required to maintain		
	have to be met, in the first instance, as an average of five		
	beginning 1st April of the year during which the first tr		
	would have to be met on an annual basis. For the requirement, the relevant entity would be the compar		
	recipient of FDI for the purpose of carrying out single-bra		
	(f) Retail trading, in any form, by means of e-commerce,	would not be permis	sible for companies
	with FDI, engaged in the activity of single brand retail tra		store for companies
	(3) Applications seeking permission of the Government for F		
	proposes to undertake single brand retail trading in India would		
	Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & specifically indicate the product/ product categories which a		
	Brand'. Any addition to the product/ product categories to be s		
	fresh approval of the Government. In case of FDI upto 49% the		
	except food products would be provided to the RBI.		
	(4) Applications would be processed in the Department of Ind		
	whether the proposed investments satisfies the notified guideling for Government approval.	nes, before being con	sidered by the FIPB
16.5	Multi Brand Retail Trading	51%	Government
10.0	FDI in multi brand retail trading, in all products, will be permit		
	(i) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flow and meat products, may be unbranded.	vers, grains, pulses, fr	esh poultry, fishery
	(ii) Minimum amount to be brought in, as FDI, by the foreign i	nvestor, would be US	\$ 100 million.
	(iii) At least 50% of total FDI brought in the first tranche of 'backend infrastructure' within three years, where 'back-e	end infrastructure' w	vill include capital
	expenditure on all activities, excluding that on front-end units; include investment made towards processing, manufacturing,		
	control, packaging, logistics, storage, ware-house, agricult		
	Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counte	d for purposes of bacl	k-end infrastructure.
	Subsequent investment in the back-end infrastructure would be depending upon its business requirements.	e made by the MBR	Γ retailer as needed,
	(iv) At least 30% of the value of procurement of manufacture	d/ processed products	s purchased shall be
	sourced from Indian micro, small and medium industries, w	hich have a total inv	restment in plant &
	machinery not exceeding US \$ 2.00 million. This valuation ref		
	without providing for depreciation. The 'small industry' statu first engagement with the retailer and such industry shall con		
	this purpose, even if it outgrows the said investment of US		
	relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural	co-operatives and far	mers' co-operatives
	would also be considered in this category. The procurement is		
	first instance, as an average of five years' total value of purchased, beginning 1st April of the year during which the fir		
	it would have to be met on an annual basis.	ist transfer of TDI 18 I	conved. Therealtel,

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>	
	(v) Self-certification by the company, to ensure compliance of (iv) above, which could be cross-checked, as and when re maintain accounts, duly certified by statutory auditors.			
	(vi) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per the 2011 Census or any other cities as per the decision of the receptive State Governments, and may also cover an area of 10 kms. around the municipal/urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master/Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking.			
	(vii) Government will have the first right to procurement of agr	ricultural products.		
	(viii) The above policy is an enabling policy only and the State Governments/ Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sale outlets may be set up in those States/Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow FDI in MBRT under this policy. The States / Union Territories which have conveyed their concurrence are as under:			
	<ol> <li>Andhra Pradesh</li> <li>Assam</li> <li>Delhi</li> <li>Haryana</li> <li>Himachal Pradesh<sup>1</sup></li> <li>Jammu &amp; Kashmir</li> <li>Karnataka<sup>2</sup></li> <li>Maharashtra</li> <li>Manipur</li> <li>Rajasthan</li> <li>Uttarkhand</li> <li>Daman &amp; Diu and Dadra and Nagar Haveli (Union Territories)</li> </ol>			
	The States/Union Territories, which are willing to permit establishment of retail outlets under the policy, would convey their concurrence to the Government of India through the Department Industrial Policy & Promotion and additions would be made accordingly. The establishment of retail sales outlets will be in compliance of applicable State / Union Territory laws/ regulations, such the Shops and Establishments Act etc.  (ix) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies w FDI, engaged in the activity of multi brand retail trading.  (x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPI for Government approval.			
	FINANCIAL SERVICES			
	Foreign investment in other financial services, other than those indicated below, would require prior approval of the Government:			
17	Asset Reconstruction Companies			
17.1	'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a company registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002	Upto 100% of paid-up capital of ARC (FDI & FII)	Upto 49% Automatic. Above 49% Government	

With effect from 3rd day of June 2013
 With effect from 4th day of July 2013

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route	
	(SARFAESI Act).	1 1 1	ž	
17.2	Other conditions:			
	(i) Persons resident outside India, can invest in the capital of Asset Reconstruction Companies (ARCs) registered with Reserve Bank, upto 49% under the Automatic Route and beyond 49% under the Government Route. Such investments have to be strictly in the nature of FDI. Investments by FIIs are not permitted in the equity capital of ARCs.			
	(ii) No sponsor shall be permitted to hold more than 50% of the shareholding in an ARC either by way of FDI or by routing through an FII. The foreign investment in ARCs are required to comply with entry route conditionality and sectoral caps. However, the total shareholding of an individual FII shall not exceed 10% of the total paid-up capital of the ARC.			
	(iii) FIIs registered with SEBI can invest in the Security Receipts (SRs) issued by ARCs registered with Reserve Bank. FIIs can invest up to 74 per cent of the paid-up value each tranche of scheme of Security Receipts issued by the ARCs.			
	(iv) Any individual investment of more than 10% would (f) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets a 2002.			
18	Banking –Private sector			
18.1	Banking –Private sector	74% including investment by FIIs	Automatic upto 49%	
			Government route beyond 49% and upto 74%	
18.2	Other conditions:			
	(1) This 74% limit will include investment under the Portfolio and shares acquired prior to September 16, 2003 by erstwhile Private placements, GDR/ADRs and acquisition of shares from	OCBs, and continu	e to include IPOs,	
	(2) The aggregate foreign investment in a private bank from all sources will be allowed up to a maximum of 74 per cent of the paid up capital of the Bank. At all times, at least 26 per cent of the paid up capital will have to be held by residents, except in regard to a wholly-owned subsidiary of a foreign bank.			
	(3) The stipulations as above will be applicable to all investment	nts in existing private	sector banks also.	
	(4) The permissible limits under portfolio investment scheme NRIs will be as follows:	es through stock excl	nanges for FIIs and	
	(i) In the case of FIIs, as hitherto, individual FII holding is restricted to 10 per cent of the total pai up capital, aggregate limit for all FIIs cannot exceed 24 per cent of the total paid-up capital, which can be raised to 49 per cent of the total paid-up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body.			
	(a) Thus, the FII investment limit will continue to be capital.	e within 49 per cent	of the total paid-up	
	(b) In the case of NRIs, as hitherto, individual holding in up capital both on repatriation and non-repatriation based per cent of the total paid-up capital both on repatriation NRI holding can be allowed up to 24 per cent of the and non-repatriation basis provided the banking comeffect in the General Body.	sis and aggregate lim on and non-repatriation total paid-up capital	it cannot exceed 10 on basis. However, both on repatriation	
	(c) Applications for foreign direct investment in priva in insurance sector may be addressed to the Reserve consultation with the Insurance Regulatory and Dev	Bank of India (RBI)	for consideration in	

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 49

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route		
	ensure that the 26 per cent limit of foreign shareholding applicable for the insurance sector is n				
	being breached.				
	(d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will continue to require				
	approval of RBI and Government as per para 3.6.2 of DIPP's Circular 1 of 2012 as applicable.				
	(e) The policies and procedures prescribed from time to time by RBI and other institutions such as SEBI, D/o Company Affairs and IRDA on these matters will continue to apply.				
	(f) RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of shares of a private bank, if such acquisition results in any person owning or controlling 5 per cent or more of the paid up capital of the private bank will apply to non-resident investors as well.				
	(ii) Setting up of a subsidiary by foreign banks				
	<ul><li>(a) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiaries but not both.</li><li>(b) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 100 per cent paid up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary in India.</li></ul>				
	(c) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary and (iii) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 per cent in a private bank.				
	(d) A foreign bank will be permitted to establish a wholly-owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license. A foreign bank will be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 per cent of the paid capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para (i) (b) above.				
	(e) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing requirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks.				
	(f) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank will be issued separately by RBI				
	(g) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI.				
	(iii) At present there is a limit of ten per cent on voting rights in respect of banking companies, and this should be noted by potential investor. Any change in the ceiling can be brought about only after final policy decisions and appropriate Parliamentary approvals.				
19	Banking- Public Sector				
19.1	Banking-Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts 1970/80. This ceiling (20%) is also applicable to the State Bank of	20% (FDI and Portfolio Investment)	Government		
	India and its associate Banks.				
20	Commodity Exchanges				
20.1	1. Futures trading in commodities are regulated under the Forward Contracts (Regulation) Act, 195 Commodity Exchanges, like Stock Exchanges, are infrastructure companies in the commodity future market. With a view to infuse globally acceptable best practices, modern management skills and late technology, it was decided to allow foreign investment in Commodity Exchanges.				
	<ul><li>2. For the purposes of this chapter,</li><li>(i) "Commodity Exchange" is a recognized association under the provisions of the Forwar Contracts (Regulation) Act, 1952, as amended from time to time, to provide exchange platform for trading in forward contracts in commodities.</li></ul>				

Sl. No. Sector / Activity % of Cap/Equity | Entry Route (ii) "recognized association" means an association to which recognition for the time being has been granted by the Central Government under Section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (iii) "Association" means any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purposes of regulating and controlling the business of the sale or purchase of any goods and commodity derivative. (iv) "Forward contract" means a contract for the delivery of goods and which is not a ready delivery contract. (v) "Commodity derivative" meansa contract for delivery of goods, which is not a ready delivery contract; or a contract for differences which derives its value from prices or indices of prices of such underlying goods or activities, services, rights, interests and events, as may be notified in consultation with the Forward Markets Commission by the Central Government, but does not include securities. 20.2 Policy for FDI in Commodity Exchange 49% (FDI & FII) Automatic [Investment by Registered FII under Portfolio Investment Scheme (PIS) will be limited to 23% and Investment under FDI Scheme limited to 26% ] 20.3 Other conditions: (i) FII purchases shall be restricted to secondary market only and (ii) No non-resident investor / entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies. (iii) Foreign investment in commodity exchanges will be subject to the guidelines of the Department of Consumer Affairs / Forward Markets Commission (FMC). **Credit Information Companies (CIC)** 21 74% (FDI & FII) 21.1 Credit Information Companies Automatic 21.2 **Other Conditions:** (1) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. (2) Foreign investment is permitted under the Government route, subject to regulatory clearance from (3) Investment by a registered FII under the Portfolio Investment Scheme would be permitted up to 24% only in the CICs listed at the Stock Exchanges, within the overall limit of 74% for foreign investment. (4) Such FII investment would be permitted subject to the conditions that: (a) No single entity should directly or indirectly hold more than 10% equity. (b) Any acquisition in excess of 1% will have to be reported to RBI as a mandatory requirement; (c) FIIs investing in CICs shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding. 22 **Infrastructure Company in the Securities Market** 22.1 Infrastructure companies in Securities Markets, namely, 49% (FDI & Automatic stock exchanges, depositories and clearing corporations, in FII) [FDI limit of compliance with SEBI Regulations 26 per cent and an FII limit of 23 per cent of the paid-up capital]

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 51

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	Entry Route		
22.2	Other Conditions:	1 1 1			
22.2.1	FII can invest only through purchases in the secondary market				
23	Insurance				
23.1	Insurance	26%	Automatic		
23.2	Other Conditions:				
	(1) FDI in the Insurance sector, as prescribed in the Insurance Act, 1938, is allowed under the automatic route.				
	(2) This will be subject to the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority for undertaking insurance activities.				
24	Non-Banking Finance Companies (NBFC)				
24.1	Foreign investment in NBFC is allowed under the automatic route in only the following activities:	100%	Automatic		
	(i) Merchant Banking (ii) Under Writing (iii) Portfolio Management Services (iv) Investment Advisory Services (v) Financial Consultancy (vi) Stock Broking				
	(vii) Asset Management (viii) Venture Capital (ix) Custodian Services				
	(x) Factoring (xi) Credit Rating Agencies (xii) Leasing & Finance				
	(xiii) Housing Finance				
	(xiv) Forex Broking				
	(xv) Credit Card Business				
	(xvi) Money Changing Business (xvii) Micro Credit				
	(xvii) Rural Credit				
24.2					
24.2	Other Conditions:				
	(1) Investment would be subject to the following minimum capitalisation norms:				
		(i) US \$ 0.5 million for foreign capital up to 51% to be brought upfront			
	(ii) US \$ 5 million for foreign capital more than 51% and	up to 75% to be broug	ht upfront		
	(iii)US \$ 50 million for foreign capital more than 75% out of which US\$ 7.5 million to be brought upfront and the balance in 24 months.				
	<ul> <li>(iv) NBFCs (i) having foreign investment more than 75% and up to 100%, and (ii) with a minimum capitalisation of US\$ 50 million, can set up step down subsidiaries for specific NBFC activities without any restriction on the number of operating subsidiaries and without bringing in additiona capital. The minimum capitalization condition as mandated by para 3.10.4.1 of DIPP Circular 1 or 2012 dated April 10, 2012, on Consolidated FDI Policy, therefore, shall not apply to downstrean subsidiaries.</li> <li>(v) Joint Venture operating NBFCs that have 75% or less than 75% foreign investment car also set up subsidiaries for undertaking other NBFC activities, subject to the subsidiaries also complying with the applicable minimum capitalisation norm mentioned in (i), (ii) and (iii) above and (vi) below.</li> </ul>				
	(vi) Non- Fund based activities: US\$ 0.5 million to be brought upfront for all permitted non-fund based NBFCs irrespective of the level of foreign investment subject to the following condition:				
	It would not be permissible for such a company to set up any subsidiary for any other activity, nor it can participate in any equity of an NBFC holding/operating company.				
	Note: The following activities would be classified as Non-Fund Based activities:				
	(a) Investment Advisory Services				
	(b) Financial Consultancy				

Sl. No.	Sector / Activity	% of Cap/Equity	<b>Entry Route</b>			
	(c) Forex Broking					
	(d) Money Changing Business					
	(e) Credit Rating Agencies					
	<ul> <li>(vii) This will be subject to compliance with the guidelines of RBI.</li> <li>Note: (i) Credit Card business includes issuance, sales, marketing &amp; design of various payment products such as credit cards, charge cards, debit cards, stored value cards, smart card, value added cards etc.</li> </ul>					
	(ii) Leasing & Finance covers only financial leases and not operating leases.					
	(2) The NBFC will have to comply with the guidelines of the relevant regulator/s, as applicable					
25	Pharmaceuticals					
25.1	Greenfield	100%	Automatic			
25.2	Existing Companies	100%	Government			
26	Power Exchanges					
26.1	Power Exchanges under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010	49% (FDI & FII)	Automatic			
26.2	Other conditions:	1				
	<ul> <li>(i) Such foreign investment would be subject to an FDI limit of 26 per cent and an FII limit of 23 per cent of the paid-up capital;</li> <li>(ii) FII purchases shall be restricted to secondary market only;</li> <li>(iii) No non-resident investor/ entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies; and</li> </ul>					
	(iv) The foreign investment would be in compliance with SEBI Regulations; other applicabl regulations; security and other conditionalities.					